प्रथम अध्याय

साठोत्तर हिन्दी नाटक : समय संदर्भ

प्रथम अध्याय

साठोत्तर हिन्दी नाटक : समय संदर्भ

भूमिका

साहित्य मानव जीवन के विविध पहलुओं को अभिव्यक्त करनेवाला सशक्त माध्यम है। साहित्य का सृष्टा मानव ही है लेकिन साधारण मानव की अपेक्षा वह अधिक संवेदनशील और प्रतिभाशाली होता है और इसी कारण साहित्यकार के साहित्य का विशेष महत्त्व है। कोई भी साहित्य अपने युग विशेष से प्रभावित होता है। साहित्यकार का यह दायित्व है कि वह अपने युगीन परिस्थितियों को दृष्टिगत करते हुए अपनी कारयत्री तथा भावयत्री प्रतिभा के द्वारा साहित्य का सृजन करे। साहित्य की एक महत्त्वपूर्ण विधा नाटक है जो अन्य साहित्यिक विधाओं की अपेक्षा कुछ मात्रा में अलग है और कुछ मात्रा में सशक्त है। नाटक को रंगमंच का वरदान प्राप्त होने से अन्य साहित्यिक विधाओं की अपेक्षा उसका अपना विशिष्ट स्थान बना हुआ है। रंगमंच पर नाटक खेला जाता है जिसका आस्वादन दर्शक अपनी-अपनी क्षमता के अनुसार करते हैं तथा उनका एक सामूहिक आस्वाद बोध भी बन जाता है। आज का नाटककार भारत की स्वातंत्र्योत्तर गतिविधियों से अवगत है। आजादी के उपरान्त इस देश पर कुछ विदेशी आक्रमण हुए जिनकी वजह से हमारे नाटककारों ने एक से एक बढ़कर सुंदर यथार्थवादी नाटक लिखे जिनमें विदेशी आक्रमण का लेखा-जोखा और राष्ट्रीय-सांस्कृतिक चेतना का उन्मेष सहज ही दिखाई पडता है। अत एवं भारत पर किए गए विदेशी आक्रमणों को परिलक्षित करते हुए जो नाटक लिखे गए हैं उनमें से पाँच प्रतिनिधि नाटकों को चुनकर उनका विवेचन विश्लेषण करना इस लघु-शोध-प्रबंध की सीमा है।

भारत-नामाभिधान

विविधता में एकता हमारे देश की महत्त्वपूर्ण विशेषता है। देश के नामकरण के बारे में भी यह बात सही है। हमारा देश भारत या भारत वर्ष, हिंदुस्तान या

हिंदुस्थान, इंडिया आदि भिन्न नामों से पहचाना जाता हैं। मगर सबसे प्राचीन नाम "भारत" है। इसकी जानकारी ऋग्वेद के "भारत जनम्" में मिलती है। कहा जाता है कि ऋषभनाथ के जेष्ठ प्रतापी पुत्र भरत के नाम पर "भारत" या "भारतवर्ष" नाम पड़ा है। "भारत वर्ष" में से भारत जातीविशेष का और वर्ष देशविशेष का द्योतक माना जाता है। मगर हिंदुस्तान या हिंदुस्थान यह नाम विदेशियों से मिली हुई देन है। इरानी में "स" का उच्चार "ह" ऐसे किया जाता है, इसलिए वह सिंधु को "हिंदु" कहने लगे। वही आगे "हिंदुस्तान" के नाम से पहचाना जाने लगा। इस नाम की रूपांन्तरित जानकारी बृहस्पति आगम में मिलती है। युनानी लोग सिंधु नदी को "इन्डस" (Indus) कहते थे जो आगे चलकर (India) के नाम से पहचाना जाने लगा।

"भारत" यह जो प्रचलित नाम है वह सांस्कृतिक विरासत का द्योतक है। भरत वंश के राजा ने संपूर्ण देश पर एक छत्र राज्य की स्थापना की, तब देश को व्यापक रूप देने के लिए इसका नाम भारत पड़ा। इससे स्पष्ट होता है स्वातंत्र्योत्तर काल में हमारे देश के लिए तीन नाम प्रचलित हैं - "भारत, हिंदुस्थान, इंडिया।"

भारत का भौगोलिक परिवेश

प्राचीन भूगोल के अनुसार भारत वर्ष सप्तदीपा वसुंधरा के अन्तर्गत जंबूदीप का एक वर्ण है। इसके उत्तर में हिमालय और दक्षिण में लवण समुद्र है, यह योग-भूमि होने पर भी विशेषतः कर्म-भूमि हैं। ऋग्वेद में "सिंधु, वितस्ता, शुतुद्री, असिक्री, परूष्णी, सरस्वती, कुंभा इन सात नदियों से जो प्रदेश बना हुआ था उसे "सप्तसिंधु" कहते थे।"[1] सप्तसिंधुं को ही "आर्यावर्त" के नाम से भी पहचाना जाता है। इस प्रदेश को देव निर्मित देश भी कहा जाता है। महाभारत के वनपर्व में भौगोलिक जानकारी बताते हुए कहा हैं कि "विश्व में पावन हिमालय विख्यात है। इसमें एक योजन चौड़ा और पाँच योजन घेरेवाला उत्तर मेरू पर्वत है। वहाँ पर सभी मानवों और ब्राहमणों की उत्पत्ति हैं। यहीं से ऐरावती, वितस्ता, विश्गंला, देविका और कुहू आदि नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं। विष्णुपुराण में "समुद्र के

उत्तर में हिमालयल के दक्षिण में जो देश है वह भारत वर्ष है और वहाँ के लोग भारत की संतान कहलाते हैं।"[2] बृहस्पति आगम में "हिमायल से कन्याकुमारी तक फैले हुए देव निर्मित प्रदेश को हिंदुस्थान कहा गया है।"[3] डॉ॰गजानन सुर्वे कहते हैं कि "गंगा, सिंधु, सरस्वती आदि नदियों से युक्त तेथा हिमालय से कन्याकुमारी तक विस्तृत भू प्रदेश प्राचीन भारत वर्ष या हिंदुस्थान है।"[4]

भारत वर्ष एक त्रिभुजाकार प्रायदीप है। इसकी स्थिति उत्तरी गोलार्ध 7 और 37 अक्षांश और 62 तथा 98 देशांतर के बीच है। उत्तर में हिमायल के अभेद्य श्रृंगो की शृंखलाबध्द दीवारों तथा दोनों निचली पर्वत श्रेणियों दारा भारत, तिब्बत, चीन तथा एशिया के शेष भागों से पृथक हो जाता है···पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में बंगाल की खाडी, अरब सागर और हिन्दी महासागर इस देश के समुद्र तट का पग-प्रक्षालन करते हैं। इस प्रकार भारत का अमिट अस्तित्व दिखाई देता है।

1· भारत : राजनीतिक विभाग

भारत एक विशाल देश है। इसलिए प्रशासनकी सुविधा के लिए इसे कई राज्यों एवं संघीय प्रदेशों में बांटा गया है। देश को इन राजनीतिक विभागों में बाँटते समय प्रत्येक भाग की भाषा, संस्कृति एवं भूगोल का भी ध्यान रखा गया है। कुल मिलाकर हमारे देश में बाईस राज्य और नौ संघीय प्रदेश हैं। नई दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। प्रत्येक राज्य और संघीय प्रदेश की अपनी राजधानी अथावा मुख्यालय है।

अलग अलग राज्यों के लोग अलग अलग भाषाएँ बोलते हैं। वे तरह-तरह के पहनावे पहनते हैं। उनके रीती-रिवाज भी तरह तरह के हैं। परन्तु सबका राष्ट्र एक है, सभी भारतीय हैं। सब एक झण्डे को प्रणाम करते हैं, सब एक ही राष्ट्रीय गीत गाते हैं, सभी एक ही मातृ-भूमि के पुत्र हैं और उसी के लिए जीते हैं, तथा उसी के लिए मरते हैं।

15 अगस्त 1947 ई॰ को भारत स्वतन्त्र हुआ और 26 जनवरी 1950 ई॰ को भारत गणराज्य बना। तब से देश की सैंकड़ों छोटी-छोटी रियासतों को लोकतन्त्र के आधार पर संगठित किया गया। 1 नवम्बर 1956 को भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किया गया। स्वतंत्र भारत के राज्य और संघीय प्रदेश इस प्रकार हैं[5]-

अ॰ राज्य

1॰ असम
2॰ आन्ध्र प्रदेश
3॰ उड़ीसा
4॰ उत्तर प्रदेश
5॰ कर्नाटक
6॰ केरल
7॰ गुजरात
8॰ जम्मू और कश्मीर
9॰ तमिलनाडु
10॰ त्रिपुरा
11॰ नागालैंड
12॰ पंजाब
13॰ पश्चिमी बंगाल
14॰ बिहार
15॰ मणिपुर
16॰ मध्य प्रदेश
17॰ महाराष्ट्र
18॰ मेघालय
19॰ सिक्किम
20॰ राजस्थान
21॰ हरियाणा
22॰ हिमाचल प्रदेश

आ॰ संघीय प्रदेश

1॰ अन्दमान और निकोबार द्वीप स॰
2॰ अरूणाचल प्रदेश
3॰ गोआ, दमण और दीव
4॰ चण्डीगढ़
5॰ दादरा और नगर हवेली
6॰ दिल्ली
7॰ पाण्डेचेरि (पुदुच्चेरि)
8॰ मिजोरम
9॰ लक्षद्वीप

2· भारत के पड़ोसी देश

भारत के पड़ोसी देश ये हैं - पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांगला देश, बर्मा और श्रीलंका हैं। आवश्यक जानकारी द्वितीय अध्याय में दी गई हैं।

भारत विभाजन और स्वतंत्र भारत

मानव सभ्यता का विकास युध्द और नरसंहार की नींव पर हुआ है। भारत की धरती पर अनगिनत बार रणचंडी को अपनी रक्तपिपासा शांत करने का अवसर मिला है। जिसके मूल में कभी कोई नैतिक आदर्श रहा, कभी मनुष्य की महत्त्वाकांक्षा। असुर-देवता संग्राम से अंग्रेजी शासन के प्रतिष्ठित होने तक के काल ने नरसंहार और विनाश के अनेकानेक दृश्य रंजित किए। किंतु भारतभूमि का बँटवारा, अखंड आर्यावर्त का विभाजन भारतीय इतिहास की एक अभूतपर्व घटना थी। यह घटना सैध्दांतिक रूप से भले ही राजनीतिक रही हो, व्यावहारिक रूप से निश्चय ही साम्प्रदायिक थी। सदियों से एक साथ रहने वाले एक ही संस्कृति को अपनाने वाले लोग कभी कभी एक दूसरे के प्रति इतनी घृणा और नफरत कर सकते हैं। हत्या करने के लिए क्रूरतम तरीक़े व्यवहार में ला सकते हैं ऐसा किसीने भी नहीं सोचा था।

भारत विभाजन इस उपमहाद्वीप के जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी है। इसके अप्रत्याशित आघात ने सदियों से अर्जित संस्कृति, जातीयता, भाषा और प्रकृति मानवी संबंधों को एक झटके से नष्ट कर डाला। जब तक लोग कुछ सोच समझ पाते तब तक लाखों-करोडों लोगों का जीवन उनका वर्तमान और भविष्य, उनकी सभ्यता और संस्कृति साम्प्रदायिकता की आग में जलकर भस्म हो चुके थे।

मुस्लिम शासकों ने भारत पर 600 बरस तक शासन किया, यह ऐतिहासिक सत्य है। मुस्लिम आक्रमण के पहले यहाँ हिंदू शासकों का राज्य था। हिंदू धर्म प्रमुख होने के बाद भी मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं पर राज्य किया, ऐसा प्रचार करना प्रारंभ किया,जिसके फलस्वरूप हिंदुओं के मन में धार्मिक राष्ट्रीयता की भावना उपजी। वह हिंदुस्तान को मुस्लिम शासकों के हाथ से छिनकर हिंदू राज्य स्थापित करना चाहते थे।

मुस्लिम राजाओं ने हिंदू राष्ट्रीयता को खड़ा करने के लिए वातावरण की निर्मिती की। मोहम्मद गजनो, औरंगजेब ने किए अत्याचार ने ही हिंदू राष्ट्रवाद को जन्म दिया। धर्म की दृष्टि से देखा जाय तो "हिंदू धार्मिक क्षेत्र में रामायण, महाभारत और गीता से प्रेरणा प्राप्त करते हैं तथा मुसलमान कुरान तथा हदीस से। इसलिए आपसी मेल की अपेक्षा इनमें विभाजन की प्रवृत्ति अधिक है। हिंदु और मुसलमोनों में सामान्य भाषा, सामान्य जाति तथा एक देश की भावना आकस्मिक तथा ऊपरी है। राजनीतिक तथा धार्मिक विरोध हिंदू मुसलमानों को एक दूसरे से मिलाने की अपेक्षा गहराई से पृथक करते हैं।"[6]

नेताओं की स्वार्थ भावना ने हिंदू मुस्लिम संबंधों में कटुता उत्पन्न की। सदियों से एक ही स्थान पर रहने के कारण धरती और संस्कृति से भावनात्मक स्तर जुड़े हुए थे। "पाकिस्तान के निर्माण के पक्षधर यह भली भाँति जानते थे कि पाकिस्तान के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा हिंदू-मुसलमानों का सांझा जातीय सांस्कृतिक संस्कार है। इन संस्कारों को तोड़ने और मिटाने के लिए साम्प्रदायिक तनाव और दंगे पैदा किए गए।[7] इसके साथ ही भाषा को भी विभाजन का एक अस्त माना। मुगल काल से लेकर 20 वीं शताब्दी के आरंभ तक राजकाल की भाषा फारसी और उर्दू थी। 19 वीं शताब्दी के अंत में भारतीय राष्ट्रीयता के विकास की मूल धारा हिंदू राष्ट्रीयता रही। जिन्होंने उर्दू, फारसी भाषाओं को मुस्लिम साम्राज्यवाद की धरोहर माना और हिंदू राष्ट्रीयता की अभिव्यक्ति के लिए संस्कृतनिष्ठ हिंदी के विकास को माना।

"1857 ई॰के स्वतंत्रता संग्राम में हिन्दू-मुसलमान दोनों ने भाग लिया था, लेकिन अंग्रेजों का दृष्टिकोण मुसलमानों के प्रति अधिक कटु हो गया।"[8] अंग्रेज लोग मुसलमानों को अपना शत्रु समझते थे। इसलिए उनकी नीति मुसलमान विरोधी रही। उन्होंने मुसलमानों का अधिक राज्य छिना था इसलिए मुस्लिम भी अंग्रेजों से उदासीन थे। जिसका परिणाम अंग्रेजी शिक्षा का अधिक प्रसार हुआ। तभी सर सैयद अहमद खाँ को महसूस हुआ कि ब्रिटिश सरकार के सहयोग से ही हम मुसलमानों को ऊपर उठा सकेंगे। 1875 ई॰में उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए अलिगढ़

में ऐंग्लो ओरियेंटल कालेज की स्थापना की। जो आगे मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हुई। सर सैयद अहमद खाँ द्वारा स्थापित कॉलेज ने पढ़े-लिखे मुसलमानों का एक वर्ग तैयार किया। इसने ही 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की जिसका उद्देश्य था, धर्म पर आधारित राजनीति करना, धर्म का राजनीतिक उद्देश्य के लिए प्रयोग करना।

चौधरी रहमत अली ने कैम्ब्रिज में "पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट" की स्थापना की और डॉ॰इकबाल के साथ मिलकर यह प्रचार किया कि हिंदू और मुलसमान दो भिन्न राष्ट्र हैं। जब उन्हें दो राज्यों में विभाजित कर दिया जाएगा तभी शांति स्थापित हो सकती है। "पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट" के अध्यक्ष की हैसियत से उन्होंने 1933 में इस संबंध में एक घोषणा पत्र निकाला जिसमें कहा था -

1॰ भारत एक महादेश है, देश नहीं।

2॰ भारत का नाम दीनीया होना चाहिए इंडिया नहीं।

3॰ भारत में बंगिस्तान (बंगाल) , उस्मानिस्तान (हैदराबाद), म्यूनिस्तान (राजस्थान) आदि सूबों को मिलाकर सबका एक संघ पाकिस्तान के नाम से बनाया जाना चाहिए।

4॰ क्योंकि भारत एक राष्ट्र नहीं है, दो राष्ट्र है - एक हिंदु, दूसरा मुसलमान।

उपर्युक्त योजना का मुस्लिम लीग के नेताओं ने विरोध किया था, मगर समय के साथ उनमें भी परिवर्तन आया और दृष्टिकोण बदल गया। 1940 में लीग ने अपने लाहौर अधिवेशन में मुसलमानों के लिए एक पृथक राष्ट्र की माँग करते हुए कहा - "इस देश में कोई भी संवैधानिक योजना मुसलमानों को तब तक स्वीकार नहीं होगी या उन पर लागू नहीं की जा सकती जब तक की बुनियादी सिध्दांतों पर अंमल नहीं किया जाएगा। जैसे कि मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर भौगोलिक दृष्टि से समान इकाइयों को विभिन्न क्षेत्रों में बाँटा जाय और जहाँ आवश्यक हो वहाँ क्षेत्रीय फेरबदल कर लिया जाए। साथ ही जिन इलाको में मुसलमान संख्या में अधिक हैं, ऐसे क्षेत्रों को स्वतंत्र राज्य के रूप में माना जाय।"[9]

हिंदुस्तान का विभाजन होने के पीछे आंतरिक कारण के साथ राजनीतिक घटना भी कारणीभूत रही होगी। भारत विभाजन के राजनीतिक कारणों में जिन्ना की महत्त्वाकांक्षा कॉंग्रेस की भूले तथा कॉंग्रेस के बड़े नेताओं की महत्वाकांक्षा एवं अंग्रेजों की कूटनीति को प्रमुख माना जा सकता है। जिन्ना भारतीय राजनीति में जितना महत्व चाहते थे, उतना नहीं मिला इसलिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग देश की मॉंग की।

माऊण्ट बेटन - योजना और भारत विभाजन

भारत विभाजन के संदर्भ में माउण्ट बेटन योजना तैयार की गई इस योजना के आधार पर 4 जुलाई 1947 ई॰ में इंग्लैण्ड की संसद व्दारा भारतीय स्वतंत्रता, विधेयक पारित किया गया। 16 जुलाई को लॉर्ड सभा ने इसे पारित किया तथा 18 जुलाई को सम्राट के इस पर हस्ताक्षर हो गये। इस प्रकार "भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम" पारित हुआ। इस अधिनियम की प्रमुख धाराएँ निम्नलिखित थी -

1॰ 15 अगस्त 1947 ई॰ को भारत दो अधिराज्यों में विभाजित कर दिया जायेगा - भारत और पाकिस्तान। सिन्धु, उत्तर-पूर्वी सीमा प्रान्त, पश्चिमी पंजाब, बलूचिस्तान तथा आसाम का सिलहट जिला पाकिस्तान में तथा शेष भारत में रहेगा। 14 अगस्त को पाकिस्तान व 15 अगस्त को भारतीय अधिनियम की स्थापना होगी1

2॰ दोनों अधिराज्यों की विधान सभाओं को अपने - अपने संविधान बनाने का अधिकार दिया गया।

3॰ नवीन संविधानों के निर्माण तक शासन 1935 ई॰ के अधिनियम के अनुसार चलना था।

4॰ 15 अगस्त 1947 ई॰ से भारत सचिव व इण्डिया ऑफिस को समाप्त किया जाना था ।

5॰ 15 अगस्त 1947 ई॰ से ब्रिटिश सरकार का दोनों अधिराज्यों पर नियंत्रण नहीं रहेगा।

6· भारतीय रियासतों को भारत अथवा पाकिस्तान किसी भी देश में सम्मिलित होने का अधिकार दिया गया।

इस प्रकार 14 अगस्त 1947 ई· को आधी रात के 12 बजे जैसे ही 15 अगस्त की तिथि प्रारंभ हुई, पं·जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा में घोषणा की - "कितने ही वर्ष पूर्व हमने भाग्य से भेंट करने का निश्चय कर लिया था अब वह समय आ गया है जब हम इसको पूरा करेंगे। आधी रात की इस घड़ी में जब दुनिया सो रही है भारत जागकर स्वतंत्र जीवन प्राप्त करेगा। यह बहुत अच्छी बात है कि इस पवित्र क्षण में हम भारत और उसकी जनता की सेवा और उससे भी बढ़कर मानवता की सेवा की सौगन्ध लेते हैं।"[10]

इस प्रकार निरन्तर संघर्ष एवं भारतीय नेताओं व राष्ट्रवादियों के असीमित त्याग से हमारा देश स्वतंत्र हुआ। यद्यपि 15 अगस्त 1947 ई· को भारत राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो गया, किन्तु सामाजिक व आर्थिक स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना अभी शेष है।

आखिर देश विभाजन एक अटल घटना बन गई। इस घटना के कारण एक बड़ा राष्ट्र दो राष्ट्रों में तीन जगह विभाजित हुआ। अर्थात एक भाग भारत नाम से अस्तित्व में रहा और दूसरा भाग पूर्व पाकिस्तान (पूर्व बंगाल) आसाम का सिलहट (जिला) ,पश्चिम पाकिस्तान (सिंध,) उत्तर-पूर्वी सीमा प्रांत, पश्चिमी पंजाब, बलुचिस्तान के हिस्से के रूप में अवतीर्ण हुआ। समय संदर्भ की दृष्टि से यह घटना भारत के इतिहास में एक विलक्षण लेकिन अपरिहार्य घटना बनी।

राममनोहर लोहिया ने भारत विभाजन के कई कारण बताएं हैं - 1· ब्रितानी कपट, 2· कॉंग्रेस नेतृत्व का उतार वय और सामर्थ्य का अभाव, 5· गांधीजी की अहिंसा, 6· मुस्लिम लीग की फूटनीति, 7· आए हुए अवसरों से लाभ उठा सकने की असमर्थता, 8· हिंदू अहंकार ।"[11]

इस संदर्भ में विख्यात इतिहासकार सुमित सरकार ने आधुनिक भारत नामक ग्रंथ में उचित ही लिखा है - "भारत की स्वाधीनता उपनिवेशवाद के विघटन की ऐसी प्रक्रिया का आरंभ थी जिसे, कम से कम जहाँ तक राजनीतिक स्वाधीनता का प्रश्न है, रोकना कठिन सिध्द हुआ। ब्रिटेन और अमरीका की कठपुतली होने के स्थान पर भारत ने नेहरू के नेतृत्व में धीरे-धीरे एक स्वतंत्र विदेश नीति विकसित की जो उस समय के लिए गुटनिरपेक्षता की नई धारणा पर और समाजवादी देशों एवं उभरती हुई तीसरी दुनिया के साथ मैत्री पर आधारित थी।"[12]

भारतीय संविधान

भारतीय संविधान स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास का एक नया पर्व है, कई शताब्दियों के उपरान्त प्राचीन भारत का मानो यह पुनर्जन्म ही है। भारत विश्व का बड़ा प्रजातंत्र है। भारत स्वतंत्र होने के उपरान्त राष्ट्र के लिए एक स्वतंत्र संविधान आवश्यक है। अतः सर्वप्रथम 9 दिसंबर 1947 को डॉ॰सचिदानंद सिंह की अस्थायी संविधान समिति को अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हुई। लेकिन मुस्लिम लीग के नेताओं ने इस समिति को स्वीकृति नहीं दी। अतः कुछ विचार विनिमय के बाद सर्व संमति से डॉ॰राजेंद्रप्रसाद को संविधान समिति के अध्यक्ष चुने गए। तथा डॉ॰बाबासाहेब आंबेडकर की नियुक्ति की। इस प्रारूप समिति के सदस्य टी॰टी कृष्णम्माचारि आदि सात लोग थे।

29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति ने डॉ॰बाबासाहेब आंबेडकर की अध्यक्षता में सभा के विनिश्चयों को और उसके साथ आनुकल्पिक और अतिरिक्त प्रस्तावों को सम्मिलित करते हुए भारत के संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। इस प्रारूप पर आवश्यकतानुसार समय समय पर खंडवार विचार विमर्श होकर वह 26 नवम्बर 1949 को समाप्त हुआ। 26 जनवरी 1950 ई॰ को संविधान लागू हुआ। जिससे प्रभुत्वसंपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना हुई। नागरिक के मूलभूत अधिकार सुरक्षित रहे। स्वतंत्र भारत के संविधान में घोषणा की कि भारत एक प्रजातंत्र राज्य होगा। इसमें जनता को अपने विचार प्रकट करने का पूरा अधिकार हैं। नागरिकों के मूलभूत अधिकार निम्नलिखित हैं -

1· समानता का अधिकार

2· स्वतंत्रता का अधिकार

3· शोषण के विरूध्द अधिकार

4· धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

5· संस्कृति और शिक्षा का अधिकार

6· संपत्ति का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार।

भारतीयसंविधान में भारत को धर्म निरपेक्ष राज्य घोषित किया। यह उसकी निजी विशेषता है। धर्म के संबंध में राज्य किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। अस्पृश्यता को दंडनीय मानकर उँच-नीच भावना समाप्त करके समानता को प्रोत्साहन दिया। स्त्री दशा खराब होने के कारण निवारणार्थ स्त्री-पुरूष समान अधिकार तैयार किये। जनता की माँग एवं कुछ प्रशासनिक असुविधाएँ दिखाई देने पर प्रसंगवश संशोधन भी किए जाते हैं। आधुनिक दृष्टि में राष्ट्र एक ही संविधान समान आर्थिक और राजनीतिक हितों पारंपारिक सांस्कृतिक मूल्यों की एकता से ही निर्मित होता हैं। स्वतंत्र भारत ने विस्तृत लिखित संविधान तैयार किया हैं।

स्वतंत्र भारत के संविधान के अंतर्गत निम्न महानुभावों ने राष्ट्रपति पद विभूषित किए -

डॉ·राजेंद्र प्रसाद, डॉ·सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉ·जाकिर हुसेन, श्री·वराह वेंकटगिरी, श्री·फखरूद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, ग्यानी झैलसिंग, आर वेंकट रमण, शंकर दयाल शर्मा।

पं·जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादूर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, मोरारजीभाई देसाई, राजीव गांधी, वी·पी·सिंग, चंद्रशेखर, नरसिंहराव आदि प्रधान मंत्रियों द्वारा संविधान की महती विशद हुई।

भारतीय संविधान की विशेषताएँ

भारतीय संविधान पर विचार करने के लिए 9 दिसम्बर 1946 को संविधान सभा का अधिवेशन प्रारम्भ हुआ। विचार-विमर्श के उपरान्त संविधान की रूपरेखा तैयार करने के लिए "संविधान प्रारूप समिति की स्थापना की गई। इस समिति के अध्यक्ष डॉ॰अम्बेडकर थे। संविधान सभा के अंतिम अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि भारत में नविन संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू किया जाए। इसी दिन से भारत को लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया। डॉ॰अम्बेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप की निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएँ थी -

1॰ प्रस्तावना

भारतीय संविधान की प्रस्तावना अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करने की बात कही गई है। भारतीय संविधान की भूमिका में लिखा हुआ है - "हम भारत के लोग भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा इसके सब नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और पूजा की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उनके मन में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करनेवाली बंधुता बढाने के लिए दृढ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवम्बर, 1949 ई॰ को इस संविधान को अपनाते हैं।"[13]

2॰ धर्म-निरपेक्ष एवं समाजवादी गणराज्य

नवीन संशोधन के द्वारा भारत में धर्म-निरपेक्ष समाजवादी गणराज्य की स्थापना की गई। इस प्रकार समस्त सम्प्रदायों के लोगों को समान अधिकार व अवसर प्रदान किए गए। भारत में धर्म अथवा संप्रदाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, यही कारण है कि अल्पसंख्यांकों में से भी राष्ट्रपति पद पर कुछ लोग कार्य कर सके। समाजवाद पर भी भारतीय संविधान में जोर दिया गया है।

3· लिखित एवं विशाल संविधान

भारतीय संविधान की एक विशेषता इसका लिखा हुआ होना तथा विश्व का सबसे लंबा संविधान होना है। विश्व में कुछ देशों के संविधान न लिखने के कारण समय समय पर समस्याएँ उदित होती हैं। भारत के संविधान का लिखित स्वरूप होने के कारण भारत में यह समस्या नहीं है। भारतीय संविधान के विषय में सर आइवर जैनिंग्स ने लिखा है - "यह विश्व का सबसे अधिक लम्बा एवं सबसे ब्यौरेवार संविधान है।"[14]

4· अनेक देशों के संविधानों के आधार पर निर्मित

भारतीय संविधान पूर्णतया मौलिक नहीं है। भारतीय संविधान के निर्माता भारत के लिए उच्च कोटि का संविधान बनाना चाहते थे। इसलिए कनाडा, अमरीका, आयरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के संविधानों की अच्छी बातों को ग्रहण कर लिया।

5· राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ानेवाला

भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता इसके भारत में राष्ट्रीयता और एकता की भावना को बढ़ाना हैं। भारत में दोहरी नागरिकता के स्थान पर एक ही नागरिकता की भी स्थापना की गई।

6· मूल अधिकार

संविधान द्वारा नागरिकों को दिए जानेवाले अधिकारों को मूल अधिकार कहते हैं। इसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उन्नति का अवसर प्रदान करना तथा सरकार को मनमानी करने से रोकना है। प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को भी वोट देने का अधिकार भी संविधान के द्वारा प्रदान किया गया है।

7· राजनीति के निदेशक सिध्दांत

भारत में जनहित सरकार की स्थापना के लिए संविधान में सरकार के लिए निर्देश दिये गए हैं जिन्हें निदेशक सिध्दांत कहते हैं। सरकार द्वारा स्वतःही इनका पालन

किया जाता है। निदेशक सिध्दांतों के अनुसार राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय लोककल्याण की उन्नति का प्रयास किया जाता हैं।

8· **कल्याणकारी राज्य**

भारतीय संविधान के द्वारा भारत में एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना किए जाने की व्यवस्था की गई। इसी व्यवस्था के अंतर्गत भारतीयों को अवसर की समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई।

9· **संसदीय सरकार की स्थापना**

भारतीय संविधान के द्वारा केंद्र व राज्यों में संसदीय सरकारों की व्यवस्था की गई हैं। इस व्यवस्था को लागू करने के कारण पर प्रकाश डालते हुए डॉ·अम्बेडकर ने कहा था - "इस पध्दति में कार्यपालिका के उत्तरदायित्व का दैनिक एवं निश्चित अवधि के उपरान्त मूल्यांकन होता रहता है।"[15]

10· **संघीय शासन की स्थापना**

भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता उसका संघीय स्वरूप है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान में संघीय सरकार का शासन है तथा राज्यों में राज्य सरकारों का। विशेष परिस्थितियों में राज्य सरकारें केंद्र सरकार के निर्देश मानने के लिए बाध्य हैं।

11· **स्वतंत्र न्यायपालिका तथा अन्य संस्थान**

नवीन संविधान के द्वारा न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर विशेष बल दिया गया। संपूर्ण भारत में समान कानून लागू किए गये। संपूर्ण भारत में समान ही स्वतंत्र चुनाव आयोग की स्थापना की गयी ताकि निष्पक्ष चुनाव कराये जा सके। इसी प्रकार के लोक सेवा आयोग की स्थापना कर योग्यता के आधार पर निष्पक्ष नियुक्तियाँ किये जाने की व्यवस्था हुई।

12· भारत राष्ट्र मण्डल का सदस्य

भारत ने स्वतंत्र होने के पश्चात भी राष्ट्र मण्डल का सदस्य बने रहने की इच्छा व्यक्त की। पं·जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे अंततः स्वीकार कर लिया गया।

भारत की विदेशी नीति और पंचशील

स्वातंत्र्योत्तर भारत की विदेश नीति भारत का सर्वांगीण विकास और विश्व शांति की कामना की दृष्टि से अपना विशेष महत्व रखती है। हमारे देश की विदेश-नीति तटस्थता तथा अगुटबन्दी की नीति है। अभाग्यवश द्वितीय महायुध्द के उपरान्त विश्व के राज्यों के दो गुट बन गये। एक गुट का नेतृत्व अमरीका ने और दूसरे का रूस ने ग्रहण किया। विश्व के अधिकांश राष्ट्र इन्हीं दोनों गुटों में सम्मिलित हो गये। परन्तु हमारा राष्ट्र इन दोनों में से किसी भी गुट में सम्मिलित न हुआ वरन् उसने तटस्थता तथा अगुटबन्दी की नीति का अनुसरण किया। उसने यह निश्चय कर लिया कि वह सभी देशों की जनता की सहायता करेगा जिनमें औपनिवेशिक साम्राज्य हैं, वहाँ की जनता अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्ष कर रही है। भारत सरकार ने दक्षिण अफ्रीका के सरकार की जातीय विभेद की नीति का सदैव विरोध किया है और विश्व में शान्ति बनाये रखने का सदैव प्रयत्न किया है। विश्व में शान्ति बनाये रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत सरकार का पूरा विश्वास है।

भारत के विदेश नीति के मूल आधार निम्नांकित हैं -

1· शांति तथा मैत्री की नीति (विश्व के राष्ट्रों के साथ)

2· साम्राज्यवाद का विरोध

3· आर्थिक तथा सांस्कृतिक सहयोग की कामना

4· स्वतंत्रता तथा समानता के समर्थन की इच्छा

5· गतिशील तटस्थता का स्वीकार

पंचशील

भारत एक मानवतावादी राष्ट्र है। इसलिए उन्होनें अपनी ही नीति अपनाई है। भारत की विदेश नीति अतिव्यापक एवं अतिमानवीय हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री पं॰जवाहरलाल नेहरू ने विश्व में शांति बनाए रखने के लिए पाँच सिध्दांतों का प्रतिपादन किया हैं जिन्हें "पंचशील" के नाम से पुकारा है।

भारत की विदेश नीति की महत्वपूर्ण विशेषता उसका पंचशील का (शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व) का सिध्दांत है। 'पंचशील' शब्द स्वतः में नया नहीं है। महात्मा बुध्द ने 'पंचशील' शब्द का प्रयोग नैतिक आचरण के पालन के संदर्भ में किया था। इण्डोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो ने भी अपनी विदेश नीति के प्रमुख आधार के रूप में "पांज्यशिला" शब्द का प्रयोग किया था। भारत ने भी अपने प्रमुख पाँच सिध्दांतों को पंचशील के भीतर समाहित करने का प्रयत्न किया। वह सिध्दांत निम्नलिखित हैं -

1॰ सभी राष्ट्र एक-दूसरे की राज्यसत्ता का सम्मान करें और उनकी भौगोलिक सीमाओं का उल्लंघन न करे।

2॰ कोई राज्य किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण न करे और पारस्परिक झगड़ों का शान्ति-पूर्वक निर्णय करने का प्रयत्न करें।

3॰ कोई राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के आन्तरिक मामले में हस्तक्षेप न करें।

4॰ सभी राष्ट्र समान हैं और उन्हें एक-दूसरे के साथ सहयोग करके एक दूसरे से लाभ उठाने का प्रयत्न करना चाहिए।

5॰ सभी राष्ट्र शांतिपूर्वक अपना अस्तित्व बनाये रखें और कोई राष्ट्र किसी अन्य राष्ट्र के अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयत्न न करें।

उपर्युक्त पंचशील सिध्दांतों को विश्व के अन्य राष्ट्रों ने भी स्वीकार कर लिया है। "पंचशील" के बारे में प्रो॰श्रीनेत्र पाण्डेय का वक्तव्य - "आधुनिक काल में आन्तर्राष्ट्रीय तनाव के युग में जब सम्पूर्ण मानव जाति का जीवन संकटमय है,

"पंचशील" ही एकमात्र मुक्ति का साधन है।[16]

स्वातंत्र्योत्तर काल में भारत पर हुए विदेशी आक्रमण

भारत शांति-प्रिय राष्ट्र है। अपने स्वार्थ के लिए और दूसरे राष्ट्र का प्रदेश काबीज करने के लिए भारत ने स्वयं कभी भी अन्य राष्ट्र पर हमला नहीं किया। बल्कि पड़ोसी राष्ट्रों ने ही अपने स्वार्थ के लिए भारत पर हमले किए हैं, बाद में आत्मरक्षा और शांति के लिए भारत ने उसका सामना किया। पाकिस्तान और चीन के साथ भारत को विवश होकर युध्द करने पड़े। क्योंकि भारत को रक्षा करके शांति प्रस्थापित करनी थी। युध्दजन्य स्थितियों में भारत की जनता ने मौलिक सहयोग दिया हैं। समय पर पूरी जनता जागृत हुई जिससे उसमें राष्ट्रीय एकता दिखायी देती हैं। पाकिस्तान का उदय और बांगला देश के नव निर्माण ने शरणार्थियों की समस्या खड़ी कर दी। मगर आर्थिक कठिनाइयों को झेलकर मानवता के दृष्टिकोण से इस समस्या को हल किया है, जो भारत की सांस्कृतिक देन का द्योतक है। सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे लोह-पुरूष ने रियासतों का विलीनीकरण करके राष्ट्रीय एकता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

1· भारत-पाकिस्तान युध्द 1947

हिंदुओं तथा मुसलमानों के झगडों का अंत करने के लिए देश का विभाजन किया गया था और पाकिस्तान की स्थापना की गई थी। लेकिन दुर्भाग्यवश पाकिस्तान बन जाने पर भी यह झगड़ा समाप्त नहीं हुआ और भारत संघ तथा पाकिस्तान में सहयोग तथा सद्भावना उत्पन्न न हो सकी। भारत सरकार तथा पाकिस्तान के झगड़े के चार प्रधान कारण हैं -

1· सीमा संबंधी झगडा

2· शरणार्थियों की संपत्ति के संबंध में झगडा

3· नहरों के जल के संबंध में झगडा

4· जम्मू एवं कश्मीर के संबंध में झगडा।"[17]

भारत और पाकिस्तान प्रथम युध्द कश्मीर को लेकर हुआ था, जहाँ का शासक हिंदू और बहुसंख्य जनता मुसलमान थी। देश विभाजन के उपरान्त कुछ देशी राज्य भारत संघ और कुछ पाकिस्तान में मिल गए किंतु कश्मीर के नरेश हरिसिंग ने स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने का निश्चय किया इसलिए कश्मीर के शासक ने स्पष्ट रूप से घोषणा नहीं की कि वह पाकिस्तान अथवा भारत किसमें सम्मिलित होना चाहता है। इस बात का लाभ बॅ॰जिन्ना ने उठाया और 24 अक्तूबर को कबाइली लूटेरों के रूप में पाकिस्तानियों ने कश्मीर में मुजफ्फराबाद के इलाके पर हमला कर दिया। इसी दिन कश्मीर रियासत की ओर से भारतीय संघ में शामिल होने की घोषणा और सैनिक सहायता की अपील की गई। 25 अक्तूबर को इस पर भारत सरकार ने विचार किया लेकिन सेना भेजने के सबंध में उसने कोई निर्णय नहीं किया। दूसरेदिन भारत ने इस पर पुनः विचार किया। शेख अब्दुल्ला और उनकी नेशनल कॉन्फ्रेस ने भी भारत से सहायता की याचना की। तब भारत ने 26 अक्तूबर को कश्मीर के भारत में शामिल होने के समझौते पर कश्मीर नरेश से हस्ताक्षर कराया और स्वयं हस्ताक्षर करके यह शर्त लिखी - "बाद में जब रियासत में शांति और व्यवस्था कायम हो जाएगी तो कश्मीर के लोगों द्वारा रियासत के भारत में सम्मिलित होने के प्रश्न पर अंतिम रूप से निर्णय किया जायगा।"[18]

27 अक्तूबर 1947 को विमान से भारतीय सेना कश्मीर भेजी गई। सैनिकों की संख्या बहुत कम होने के बाद भी उन्होंने श्रीनगर से 17 मील दूर (पाटन) रहनेवाले आक्रमणकारियों पर हमला कर दिया। 8 नवम्बर को बख्तरबन्द गाड़ियों और हवाई जहाज की सहायता से भारतीय सेना ने बारामूला पर कब्जा किया। 15 नवम्बर को भारतीय सेना ने उरी पर अधिकार कर लिया और श्रीनगर तथा आसपास की घाटी को खतरे से मुक्त कर दिया। 25 नवम्बर को मीरपुर शहर को मुक्त किया। इस तरह कश्मीर की लड़ाई बराबर 1948 के अंत तक जारी रही। उत्तर की ओर से पाकिस्तानियों के बढ़ाव के कारण लेह खतरे में पड़ गया था। तेरह हजार फूट की ऊँचाई पर बसे इस क्षेत्र के पहाड़ी मार्ग बर्फ से ढक गए थे। इसलिए भारतीय वायु सेना ने यहाँ सैनिक, रसद और सामान तेरह हजार

फूट की उँचाई पर उड़ कर पहुँचाया। दुनिया के किसी युध्द में अब तक हवाई जहाजों से इस प्रकार काम नहीं किया गया है। वह दुनिया के इतिहास में बेमिसाल है।

30 दिसंबर 1947 को भारत सरकार ने कश्मीर का मसला राष्ट्रसंघ की सुरक्षा परिषद में पेश करने का निर्णय किया और दूसरे दिन यह सुरक्षा परिषद को निर्दिष्ट कर दिया गया। जनवरी में चार हजार आक्रमणकारियों ने नौशेरा में भारतीय सेना पर आक्रमण किया। जिसका सामना करके नौशेरा क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहाड़ी स्थानों पर भारतीय सेना ने कब्जा कर दिया। इस प्रकार भारतीय सेना बराबर जनवरी 1949 तक विजय प्राप्त करती रही।

2· भारत-चीन युध्द 1962

1957 तक भारत-चीन सम्बन्ध घनिष्ट थे। एशिया खंड में होनेवाले दो महान देश की मित्रता आंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण थी। भारत ने इस कालावधी में चीन को यूनो में समाविष्ट करने के लिए कोशिश की। दोनों देश के प्रधानमंत्री एक दूसरे से मिले और "हिंदी चीनी भाई-भाई" की घोषणा चारों तरफ फैलाई। एशिया राष्ट्रों का नेतृत्व भारत और चीन करेंगे ऐसे सभी को लगता था। चीन भारत का जो मैत्री संबंध आरम्भ हुआ था, वह कायम नहीं रह सका। ऐसा लगता है कि अपनी आंतरिक समस्याओं के कारण चीन को विस्तारवादी नीति का आश्रय लेना पड़ा और इस क्रम में ऐसी घटनाएँ घटी जिनसे चीन-भारत मैत्री संबंध को गहरा धक्का लगा। यह सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार के चीनी दावे का ही प्रतिफल है। सन 1955 से ही चीन ने विवाद आरम्भ कर दिया था, लेकिन वह उभरा नहीं था।

भारत की उत्तरी सीमा के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों पर चीन ने 20 अक्तूबर 1962 के प्रातःकाल बड़ा भारी आक्रमण प्रारंभ किया। आधुनिक हथियारों से सुसज्जित चीनी सैनिकों की झुण्ड हजारों की संख्या में पर्वतों की दुर्गम श्रेणियों को पार करते हुए भारतीय स्थानों पर आ धमकने लगे। मगर सीमा पर भारतीय सैनिक इनेगिने ही थे। भारतीय सैनिकों ने बहादुरी के साथ हमलावरों का मुकाबला किया मगर

शस्त्र सज्जता के सामने अधिक देर तक टिकना असंभव था। तेजी से दुश्मन आगे बढता गया। एक ही दिन में लगभग 50-60 वर्ग मील क्षेत्र पर अपना कब्जा किया। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में लद्दाख की चिपचेप घाटी में भारतीय सैनिकों ने चौकियाँ जीत ली।

इस आक्रमण के लिए चीन की तैयारियाँ बहुत पहले से जारी थी। एक तरफ सीमा विवाद पर समझोता वार्ता करने की उत्सुकता और दूसरी ओर आक्रमण की तैयारी चलायी थी। दोस्त समझकर भारत ने उसका जो विश्वास किया था वह गलत साबित हुआ। संभवतः भारत का जासूसी विभाग बेकार साबित हुआ। चीन ने धोखा देकर भारत की पीठ में छूरा भोंक दिया।

प्रधानमंत्री नेहरू ने संसार के सभी राष्ट्रप्रमुखों के नाम पत्र भेजकर स्थिति की वास्तविकता को स्पष्ट करते हुए सहायता के लिए प्रार्थना की। सभी देशों ने जवाब भेजकर चीन की निंदा और भारत के प्रति हमदर्दी प्रकट की। अमरीका, ब्रिटेन ने युध्द साहित्य तुरन्त भेज दिया। हमला शुरू करने के चार दिन बाद चीन ने तीन शर्तों को प्रकट किया जिनके आधार पर युध्दविराम जारी किया जाए। चीन अपनी ताकद के सामने भारत को घुटने टेकने के लिए मजबूर करने को उत्सुक था। इसलिए शर्त आक्रमण के बाद प्रकट की गई। शर्तें निम्न प्रकार थी -

1. दोनों पक्ष शांतिपूर्ण ढंग से सीमा-विवाद को हल करने का निश्चय करें। इस प्रकार विवाद का हल होने तक की बीच की अवधि में भारत-चीन सीमा के सभी क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण की रेषा को दोनों पक्ष स्वीकार करें और सैनिक दलों को उस रेषा के पीछे बीस कि·मी·तक हटाया जाए।

2. भारत को यह प्रस्ताव स्वीकार हो तो चीन सरकार आपसी विचार विमर्श के बाद अपने सीमा रक्षकों को सीमा के पूर्वी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण की रेषा के उत्तर की ओर हटाने को राज़ी है।

3. दोनों देशों के प्रधान मंत्री सीमा विवाद को हल करने के लिए एक दूसरे से मिलें।[19]

इस प्रकार चीन ने भारतीय प्रदेश पर आक्रमण द्वारा अधिकार कर लिया।

चीन अपनी सेना को उस स्थान तक पीछे हटा ले जहाँ वह 8 सितम्बर 1962 से पहले थी। भारत के इस प्रस्ताव से चीन सहमत नहीं था। 20 अक्तूबर से 21 नवम्बर 1962 तक चीनी हमले नेफा और लद्दाख के मोर्चों पर जारी रहे। एक महीने भर की लड़ाई से भारतीयों की आँखे खुल गयी। चीन की चुनौती के मुकाबले के लिए सारा भारत उठ खडा हुआ। एकता को नया बल मिला। भारतीय इतिहास का एक नया पर्व शुरू हुआ। चीनी सेना ने नेफा में तावांग, सेला, बोमादि ला, जंग वालांग आदि पर कब्जा करके तेजपुर के निकट आ गई। इस तरह अपने दावे के प्रायः सभी भूभागों पर अधिकार करने के बाद चीन ने घोषणा की कि वह 22 नवम्बर से सभी मोर्चो पर एक तरफा ढंग से युध्द-विराम जारी करेगा, और 1 दिसम्बर से अपनी सेना को पीछे हटाना शुरू करेगा।

चीनी कम्युनिस्टों की रण-नीति संक्षेप में इस प्रकार हैं - "बड़े भारी सेना-सागर को संगठित करो, और उसे दुश्मन के प्रदेश में घुसा दो, जिससे बिजली-सी तेज़ी से सारे प्रदेश पर अधिकार कर लिया जाए। उसमें कुछ समय अपना आसन जमाए बैठो और आगे के प्रदेश में आक्रमण फिर जारी रखो। नाटकीय ढंग से युध्द विराम का आडंबर रचो जिससे दुश्मन गाफिल रहे और अपने को नए आक्रमण की तैयारी के लिए मौका मिले। तैयारी के बाद पहले से बड़ा भारी हमला करो। युध्द विराम तथा समाझौता-वार्ता के नाटक से दुनिया की नजरों में धुल झोंकी जा सकती है और अपने पक्ष में उसका समर्थन तथा हमदर्दी प्राप्त की जा सकती है। साथ-साथ अपने को अगला कदम उठाने के लिए तैयारियाँ करने का समय मिलता है।"[20]

चीन हमला और उसके मुकाबले के लिए भारत की असमर्थता का जुर्म भारत के उस समय के प्रति रक्षामंत्री श्री कृष्ण मेनन को ठहराया गया। मेनन के इस्तीफ़ा

के पश्चात प्रतिरक्षा मंत्री के पद पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री यशवंतराव चव्हाण की नियुक्ति की घोषणा 14 नवम्बर को की गई।

चीन ने 22 नवम्बर 1962 की रात को 12 बजे इकतरफा युध्द विराम जारी किया। 1 दिसम्बर से युध्द मोर्चे पर से चीनी सेना हटने लगी। जहाँ तक युध्द विराम का संबंध है, भारत ने उसे स्वीकार कर लिया और चीन द्वारा उसके कार्यान्वय में बाधा डालनेवाला कोई कार्य नहीं किया। युध्द समाप्त हो गया किंतु सीमा संबंधी झगड़ा आज तक समाप्त नहीं हो सका है और भारत के एक बहुत बड़े भाग पर आज भी चीन का अधिकार बना है।

3· भारत-पाकिस्तान युध्द 1965

प्रथम भारत-पाकिस्तान युध्द 1947 के उपरान्त कश्मीर का झगड़ा संयुक्त राष्ट्र संघ के पास निर्णय के लिए चला गया था, परंतु वहाँ पर बड़े-बड़े राष्ट्रों के पारस्परिक मतभेद के कारण कोई निर्णय न हो पाया। पाकिस्तान उद्विग्न हो रहा था। जब उसने देखा कि शांति की नीति से कश्मीर नहीं मिल रहा है, तब उसने युध्द द्वारा उसे प्राप्त करने का निश्चय कर लिया। इस समय पाकिस्तान सैनिक शासन था और जनरल अयूब खाँ पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। उन्होंने अप्रैल 1965 को पाकिस्तानी सेनाओं को कच्छ के रण में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। उनका कहना था कि यह क्षेत्र पाकिस्तान का था जिस पर भारत ने जबरदस्ती अधिकार कर लिया है। युध्द आरम्भ हो गया। अमरीकन हवाई जहाज के सहारे पाकिस्तान ने कश्मीर पर बम वर्षा की। घुसपैठियों को तोड़फोड़ करने के लिए भेज दिया। तभी कश्मीर की जनता और सैनिकों ने उसका सामना किया। पाकिस्तान सामने आ गया और उसने अनौपचारिक रूप से युध्द की घोषणा कर दी।

17 अगस्त को पाकिस्तानी सेनाओं ने युध्द विराम रेखा को पार किया और भारत पर आक्रमण कर दिया। भारत ने भी युध्द की घोषणा कर दी और विभिन्न क्षेत्रों में घमासान युध्द आरम्भ हो गया। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तानी सीमा में घुसकर हाजीपीर इस महत्वपूर्ण जगह पर कब्जा किया। भारतीय सैनिकों

की जिद, स्फूर्ति और आवेश के सामने पाकिस्तान के शस्त्रास्त्रों का कुछ भी उपयोग नहीं हुआ। भारत के छोटे से नॅट हवाई जहाजों ने अमरीकन सेबर जेट हवाई ज्हाज को पराभूत किया। इस तरह भारतीय वायुसेना का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पाकिस्तान का कश्मीर पर अधिकार करने का सपना चूर-चूर हो गया। अंत में संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप के फलस्वरूप युध्द रोक दिया गया। 10 जनवरी 1966 में रूस के प्रधान मंत्री कोसगिन की मध्यस्थता के फलस्वरूप ताश्कंद में राष्ट्रपति अयूब खाँ तथा प्रधान मंत्री लालबहादुर शास्त्री के बीच समझोता हो गया जो "ताश्कंद समझोते" के नाम से पहचाना जाता है।

4· भारत-पाकिस्तान युध्द बाङ्ला देश 1971

ताश्कंद समझोते के बावजूद भारत तथा पाकिस्तान में सद्भावना जागृत न हो सकी और षड्यंत्र कुचक्र तथा मनोमालिन्य चलता रहा। वास्तविकता यह थी कि पाकिस्तान पिछली लड़ाई की पराजय को भूल न सका और कश्मीर खो देना निरन्तर खटकता रहा। भारत की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी पाकिस्तान की गतिविधियों पर कड़ी निगाह रखे थी। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता गया। यह तनाव उस समय बड़ा ही गंभीर हो गया। जब बंगला देश से सहस्त्रों शरणार्थी भागकर भारत आ गए। इनके भागने का कारण पश्चिमी पाकिस्तान का पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर भीषण अत्याचार था। देश के विखंडन के उपरान्त जब पाकिस्तान की स्थापना हुई तब उसके दो भिन्न अंग बन गये अर्थात पश्चिमी पाकिस्तान जिसके अंतर्गत पश्चिमी पंजाब, सिंध, सरहद्दी सूबा तथा बलूचिस्तान था तथा पूर्वी पाकिस्तान जिसके अन्तर्गत पूर्वी बंगला था। इन दोनों अंगों की भाषा तथा संस्कृति में ध्रुवीय अन्तर था। पश्चिमी पाकिस्तान की भाषा उर्दू और पूर्वी की बंगाली थी। जब मार्च 1948 में कायदे आज़म ने यह घोषणा की कि, "उर्दू पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा है और जो कोई इसका विरोध करता है, वह पाकिस्तान का दुश्मन है।"[21] कायदे आज़म की उस सभा में ही तरूण मुजीब ढ़ाका विश्वविद्यालय के कुछ अन्य तेजस्वी छात्रों के साथ खड़ा हो गया और "बंगला भाषा अमर रहे" का नारा बुलन्द किया।

इतना ही नहीं दोनों के रहन-सहन, खान-पान, वेशभूषा तथा दृष्टिकोण में भी अन्तर थी। जोड़नेवाला तत्व केवल धर्म था। जब पश्चिमी पाकिस्तानी शासकों ने बांगला में अत्याचार करना प्रारम्भ किया तब वहाँ की जनता ने शेख मुजीबुर्रहमान के नेतृत्व में विद्रोह का झण्डा खडा कर दिया। बांगला में सैनिक शासन की घोषणा कर दी गई और राष्ट्रपति जनरल याह्या खाँ का दमन कुचक्र आरम्भ हो गया। सहस्त्रों शरणार्थी भारत आये और भारत सरकार के सामने गम्भीर समस्या उपस्थित हो गयी। भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा ग्रांधी ने विश्व की महान शक्तियों से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया कि अत्याचार को रोका जाय मगर किसी से ध्यान न दिया गया। उधर बांगला के लोगों ने अपने देश को स्वतंत्र घोषित कर दिया। भारत ने मान्यता दे दी। इसके बाद पाकिस्तान ने 3 दिसम्बर 1971 को भारत के विरूध्द युध्द की घोषणा कर दी। भारत भी युध्द में कूद पडा और पूर्वी तथा पश्चिमी दोनो ही मोर्चों पर जल, स्थल और वायु सेना ने भीषण आक्रमण कर दिया और केवल चौदह दिन के भीतर पाकिस्तानी सेना से आत्म समर्पण करा लिया। 3 दिसम्बर 1971 को यह युध्द आरम्भ हुआ था और 17 दिसम्बर 1971 को समाप्त हो गया।

नाटक : संहिता की विशिष्ट विधा

साहित्य के दृश्य और श्राव्य दो महत्वपूर्ण रूप माने गए हैं। दृश्य के अंतर्गत नाटक का समावेश होता है और श्रव्य के अंतर्गत कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध आदि प्रकार आते हैं। दोनो प्रकार के साहित्य मे मानव जीवन का चित्र प्रस्तुत होता है। नाटक छोडकर अन्य साहित्य पढ़ने पर सोचना पडता है कि, क्या यह सब सही है? लेकिन साहित्य के इन दो रूपों में प्रभावान्विति की दृष्टि से अंतर पडता है। नाटक साहित्य की विशिष्टतम विधा है। नाटक आँखों से देखने की और हृदय से परखने की चीज है। नाटक मानव जीवन की झाँकी मूर्त रूप से प्रस्तुत करनेवाला साहित्य का सर्वोत्कृष्ट रूप है।

नाटक की रचना का मूल उद्देश्य उसकी रंगमंचीय प्रस्तुति है। नाटककार नाटक इसलिए नहीं लिखता कि, वह सीधे पाठकों या श्रोताओं तक पहुँचे। नाटककार

और ग्राहक के बीच रंगमंच के नाट्यकर्मी होते हैं। ये नाट्यकर्मी दर्शकों की उपस्थिति में लिखित नाटक का अभिनीत रूप प्रस्तुत करते हैं। यह प्रस्तुति ही नाट्य है। नाट्य का माध्यम भाषा के साथ ही रंगमंचीय तत्व भी है। यही नहीं रंगमंचीय तत्वों के साथ संश्लेषित होने के कारण अन्य साहित्य रूपों की तुलना में नाटक की भाषा में फर्क दिखाई देता है। नाटककार का अपना साधन भाषा होने पर भी उसे अपनी अभिव्यक्ति तथा ग्राहकों पर पड़ने वाले प्रभावों के लिए नाट्यकर्मियों की अभिव्यक्तियों और रंगमंचीय तत्व द्वारा सर्जित प्रभावों के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है।

लिपिबध्द नाटक का भाषिक रूप पढ़कर न तो उससे पूरी तरह प्रभाव ग्रहण किया जाता है न ही उसकी समीक्षा या मूल्यांकन। नाटक में एक बड़ी घटना और उस घटना तक पहुँचाने वाली स्थितियों का चित्रण होता है। नाटककार किसी एक कार्य को केंद्रबिंदु बनाकर उस तक तेजी से पहुँचने की स्थितियों का अंकन करता है। रंगमंच की परिस्थितियों से उत्पन्न स्थान, काल और कार्य संबंधी नाटक की इन विशेषताओं की खोज संभवतः सर्वप्रथम यूनान में अरस्तू ने की। यह संकलन-त्रय का नियम कहलाता है। कुँवरजली अग्रवाल के मतानुसार - "नाटक की संवाद रचना पर रंगमंचीय तत्व एक दूसरे प्रकार से भी प्रकाश डालता है। नाटक के संवाद अभिनेताओं द्वारा कहे जाते हैं। अभिनेता अपनी अधिकांश अभिनय कुशलता और अपना प्रभाव संवादों को कहने की प्रक्रिया साथ ही व्यकत करता है। संवाद ऐसे हो जिनके व्दारा उसे अपनी अभिनय क्षमता के अधिकतम उपयोग के अवसर मिल सके।"[22]

नाटक प्रदर्शन की वस्तु होने के कारण उसका दर्शकों से घनिष्ट संबंध है। बिना दर्शकों से नाट्य प्रदर्शन की कला असंभव है। नाट्य प्रदर्शन में दर्शकों की उपस्थिति, अनुपस्थिति तथा उनकी संवेदना या प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण होती है। डॉ.चंदूलाल दुबे के शब्दों में - "नाटक और दर्शक अन्योन्याश्रित हैं। नाटक देखने के लिए दर्शक आते हैं। दर्शकों के लिए नाटक खेले जाते हैं। दर्शकों के अभाव में नाटक का प्रदर्शन असंभव है। नाटक दर्शकों पर अपना प्रभाव डालता हैं तो

दर्शक भी नाटक को प्रभावित करते हैं। नाटक की कथावस्तु, संगीत एवं अभिनय से सहृदय दर्शक प्रभावित होता है।[23]

साठोत्तर हिन्दी नाटक : महत्व

भारत देश को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने के पश्चात साहित्य लेखन के क्षेत्र में नई वास्तविकता और संभावनाएँ अवतीर्ण हुई, मगर कविता, कहानी, उपन्यास आदि गद्य विधा को लेखन में अपनाया उस तरह नाट्य लेखन क्षेत्र में प्रतिष्ठित नहीं हो सकी। सन 1960 तक हिन्दी नाट्यकला निर्मिती के धरातल पर नवीन युग की सीमाओं में परिबध्द होकर भी परंपरित कथानक से ही जुड़ा रहा। जयशंकर प्रसाद के पश्चात लक्ष्मीनारायण मिश्र से लेकर विनोद रस्तोगी तक के लेखकों ने समस्या नाटकों की रचना से हिन्दी नाटक की विषय एवं शिल्पगत तथ्यों की खोज की शुरूआत की। मगर अल्प समय में ही नाटक साहित्य काल की सीमा में कैद हुआ। धीरे-धीरे ऐतिहासकि, पौराणिक नाटकों ने समस्या नाटकों की जडें हिला दी, परिणामतः नाटककार ऐतिहासिक, पौराणिक नाटक लिखने की तरफ मूड़े।

आजादी के पश्चात सन 1960 तक नाटक और रंगमंच की दृष्टि से नाट्यकला का चरम रूप उभर नहीं सका। जिसकी पाठक प्रेक्षक को आवश्यकता थी। छठे दशक के पश्चात नाटक और रंगमंच की दृष्टि से हिन्दी नाटक का नया इतिहास शुरू हुआ। यहाँ से ही हिन्दी नाटक प्रवाह को नया मोड़ मिला या नया रूप ग्रहण किया। इसी मोड में परंपरा पुष्ट प्रयोगधर्मिता जनित कटाव और गहराई है। रंगमंच सापेक्ष युग जीवन से जुड़ने की सार्थक बेचैनी है। इस युग जीवन में अपनी जड़े गहरी रोंपने के लिए नाटक ने नए तेवर, मुहावरों नाट्य युक्तियों का अविष्कार करके उसे अपनाया।

कथ्य के स्तर पर नए-नए रोचक अनुभवों का समावेश किया गया। भाषा के स्तर की दृष्टि से एक ओर शारीरिक तथा हरकत की भाषा को अपनाया तो दूसरी तरफ मौन एवं संवादों की भाषातीत अर्थवत्ता का कलात्मक प्रयोग भी किया।

विवेच्य काल के नाटकों का मूड़ उन तमाम वास्तविकताओं से प्रेरित एवं संचलित होने लगा जो आधुनिक स्थितियों के दबाव के कारण समाज में आविर्भूत होने लगे हैं।

कथ्य शिल्प दोनों स्तर पर धीरे-धीरे परिवर्तन हुआ। जिसमें पौराणिक नाटक, ऐतिहासिक नाटक, समस्या नाटक, लोकनाटक, काव्य नाटक, एकांकीनाटक, रेडिओ नाटक, एब्सर्ड नाटक, लघु नाटक, बाल नाटक आदि दिखाई देते हैं। सामयिकता को आत्मसात करनेवाली विशिष्ट प्रवृत्ति जैसे नए प्रवृत्ति का विकास हुआ। जिसमें भारतीय जीवन की तस्वीर दिखायी देती है। हिन्दी के इस नाटक के सामयीक परिवेश और युगसत्य के प्रति विशेष कलात्मक संसक्ति, सजगता और अभिव्यक्ति के कारण आज गाँव, नगरों एवं कस्बों में प्रेक्षकों का निश्चित वर्ग तैयार हुआ। हिंदी के माध्यम से ही नाटक और रंगमंच का राष्ट्रीय स्वरूप उभरकर सामने आ रहा है।

साठोत्तर हिन्दी नाटक : विशिष्ट संदर्भ

कोई भी साहित्यकार अपने देश-काल और परिस्थिति से तथा प्रासंगिक रूप में विश्व की विविध गतिविधियों से भी प्रभावित होता हैं और साहित्य का सृजन करता है। इसमें संदेह नहीं कि नाटक साहित्य की एक विशिष्ट और समृध्द विधा है, जिसमें समय संदर्भ अपना विशेष महत्व रखते है। यह विशिष्ट संदर्भ अनेक प्रकार के हो सकते हैं। लेकिन असल में यह बात सही हैं कि उनका संबंध किसी न किसी प्रकार मानव जीवन से बना रहता है। मानव जीवन की विविधता और विराटता परिलक्षित करते हुए साठोत्तर हिन्दी नाटककारों ने समय संदर्भ के रूप में मानव जीवन की कुछ गतिविधियों को चित्रित किया हैं जिनमें प्रमुख समय संदर्भ यह हैं -

1. सामाजिक संदर्भ
2. प्रेम और यौन दृष्टि संदर्भ
3. इतिहास बोध आधुनिक संदर्भ
4. सांस्कृतिक संदर्भ
5. असंगत जीवन संदर्भ

1· सामाजिक संदर्भ

नाटक और समाज का गहरा सम्बन्ध होने के कारण उसे सामाजिक जीवन की सजीव प्रतिलिपि कहा जाता है। साठोत्तर हिन्दी नाटकों में समाज, परंपरा, स्त्री-पुरूष, अर्थ एवं संस्कृति के प्रति व्यक्त विचारों में स्पष्ट रूप से नवीनता के दर्शन होते हैं। व्यक्तिवाद का प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। व्यक्ति को लक्ष्य और समाज को निमित्त दिखाई देता है। व्यक्ति के अहं की मूल प्रवृत्ति समाज, संस्कृति और ईश्वर के प्रति विद्रोह की भावना है। साठोत्तरी नाटकों में पुरातन के प्रति विद्रोह की भावना दिखाई देती है। साठोत्तरी नाटकों में सामाजिक संदर्भों की खोज के बहाने कहा जाता है -" सामाजिक कुरीतियों को पहले के नाटकों की भाँति आदर्शवादिता की ओर नहीं मोडा जा रहा है, बल्कि समूची व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह लगाकर समस्याओं को सकारण प्रस्तुत करते हुए एक आमूल चूल परिवर्तन की ओर इशारा किया जा रहा है। व्यवस्था के साँचे में "व्यक्ति और समाज" की त्रासदी ही अधिकांश नाटकों में चित्रित की गई है।"[24]

इसके अंतर्गत मोहन राकेश का "आधे अधूरे" नाटक मध्य वर्ग से संबंधित एक ऐसा मंचीय नाटक है, जिसमें स्त्री-पुरूष संबंधों की और पारिवारिक विघटन की कथा व्यथा जुडी हुई है। लक्ष्मीनारायण लाल के नाटकों में "रातरानी", "दर्पण", "अब्दुल्ला दीवाना", "मिस्टर अभिमन्यु" आदि का विशेष महत्व है।

2· प्रेम और यौन दृष्टि संदर्भ

प्रेम और यौन की सामाजिक मान्यता पति-पत्नी के संबंध तक सीमित थी। मगर प्रगतिशील समझ, चिंतन के कारण प्रेम के व्यापक धरातल पर प्रतिष्ठा के कारण विवाह पूर्व प्रेम को मान्यता मिल गई और उसका नैतिक दृष्टि से विवाह में रूपान्तर हो गया। बंधनहीन भोगवादी दृष्टि के प्रसार के कारण विवाहित स्त्री-पुरूष का पराए के साथ यौन संबंध, विधुर, विधवा और परित्यक्ता नारियों में स्वच्छन्द काम की प्रवृत्ति खुलकर व्यक्त हुई। धीरे-धीरे विस्तृत होनेवाली भोगेच्छा या अवैध काम संबंध के कारण समाज मे विकृतियाँ फैली। पारिवारिक संबंधों में

तनाव, विघटन और नैतिक मर्यादा में गिरावट आयी। प्रेम और यौन संबंध की अनियमित भंगिमाओं तथा दिशाहीन स्वेच्छारिता का यथार्थ आकलन सन साठ के आसपास और उसके बाद के नाटकों में हुआ। इसके साथ ही कुछ नाटककारों ने अपने नाटकों में प्रेम के आदर्शवादी और मर्यादित भावना का चित्रांकन किया है, जिससे शाश्वत मानवीय आदर्श के दर्शन होते हैं।

साठोत्तर हिन्दी नाटककारों ने प्रेम और यौन को आधुनिक जीवन संदर्भ में देखने का प्रयास किया है और अधिक नाटक इस विषय को लेकर लिखे हैं। हिन्दी के विख्यात नाटककार मोहन राकेश "आधे अधूरे" प्रेम और यौन की नई व्याख्या करनेवाला विशिष्ट लेखक है। सुरेन्द्र वर्मा "आठवा सर्ग", "सूर्य की अंतिम किरण से पहली किरण तक" स्त्री-पुरूष संबंध का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत करनेवाला ख्यातिप्राप्त नाटक हैं।

प्रेम और यौन को परिलक्षित करते हुए लक्ष्मीनारायण लाल ने अनेक नाटक लिखे जिनमें "सुर्यमुख", प्रेम और यौन संबंध पर विदारक प्रकाश डालनेवाला मंचीय नाटक है। पौराणिक कृष्ण कथा पर आधारित बेनुरती, प्रद्युम्न का प्रेम यौन संबंध चित्रित किया गया है। इनके अतिरिक्त "कर्फ्यू" , "व्यक्तिगत", "पंचपुरूष", "सब रंग मोह भंग" आदि उल्लेखनीय हैं। सुरेन्द्र वर्मा का "द्रौपदी" स्त्री-पुरूष संबंधों की अनोखी अभिव्यक्ति है। रमेश बक्षी का "देवयानी का कहना है", प्रेम और यौन संबंध की नई व्याख्या करनेवाला और नारी की स्वच्छंदता तथा स्वैराचार का सजीव चित्रण है। पौराणिक देवयानी नाम केवल नाममात्र है अन्यतः स्वैराचारी आधुनिक नारी की ही वह कथा है।

3· इतिहास बोध आधुनिक संदर्भ

हमारे आदि पुरूष से लेकर आज भविष्य में जब तक धरती पर अंतिम आदमी होगा, हर क्षण एक इतिहास घटित होता रहता है। अपने समय की घटनाओं को भोगते हुए इतिहास में जब उन्हें साक्षी पाते हैं, तब इतिहास से परे भी इतिहास के अर्थ मिलते हैं। इसी खोजबीन में हम एक प्रति इतिहास

के सामने खड़े हो जाते हैं। यही रचनात्मक उत्तेजना का अनुभव करते हैं और एक नई दृष्टि मिलती है। विशिष्ट से सामान्य की ओर लक्ष्य होने के कारण प्रति इतिहास के प्रति हमारी रूची बढ़ गई है। इसे ही आज का इतिहास कहते है। नाटकों को निरन्तर माँग के कारण कई लेखक इस प्रवृत्ति की ओर बढ़े। यह चेतना सन साठ के बाद अधिक प्रज्वलित दिखाई देती है।

इसके अन्तर्गत जगदीशचन्द्र माथुर का "पहला राजा" प्रागैतिहासिक काल को ध्यान में रखकर लिखा गया नाटक है। उस नाटक का पृथु पात्र भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पं॰जवाहरलाल नेहरू का द्योतक है। डॉ॰लक्ष्मीनारायण लाल ने इतिहास बोध के संदर्भ में कुछ मिथक नाटक लिखे हैं , जिनमें - "सूर्यमुख", "एक सत्य हरिश्चंद्र", "कलंकी", "नरसिंह कथा", "यक्षप्रश्न", "राम की लड़ाई" आदि उल्लेखनीय नाटक हैं। डॉ॰लाल ने मुख्यतया इतिहास बोध के संदर्भ में स्वातंत्र्योत्तर भारत की परिस्थितियों पर विदारक प्रकाश डाला है और यह भी दर्शाया है कि साधारण आदमी भी जननेता बन सकता है।

सुरेन्द्र वर्मा के "छोटे सैय्यद बडे सैय्यद "शकुंतला की अंगूठी" उत्कृष्ट मिथकीय नाटक हैं। "शंकुतला की अंगूठी" शंकुतला और राजा दुष्यंत के कथानक पर आधारित आधुनिक जीवन बोध से संबंधित नाटक है। इस नाटक की शकुंतला आधुनिक बोध की नारी है। "छोटे सैय्यद बड़े सैय्यद" में मुस्लिम -ह्रासोन्मुख मध्यकालीन संस्कृति का चित्रण है। प्रस्तुत नाटक रंगमंच के लिए एक तरह की चुनौती है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की "बकरी" में समकालीन व्यवस्था में आज के तथाकथित छद्मवेशी नेताओं की कहानी है, जो गांधीवादी आदर्शों के मुखौटे में रूढिग्रस्त भारतीय जनता को ठगाते हैं। वास्तव में इस शोषण के प्रति विद्रोह भाव जगाना ही नाटक की मूल चेतना है। दया प्रकाश सिन्हा का "कथा एक कंस की" पौराणिक संदर्भ में आधुनिक राजनीतिक भ्रष्टाचार का दस्तावेज है।

4· सांस्कृतिक संदर्भ

रामधारी सिंह "दिनकर" के शब्दों में - "संस्कृति वह चीज मानी जाती है, जो हमारे सारे जीवन को व्यापे हुए हैं। तथा जिसकी रचना और विकास में अनेक सदियों

के अनुभवों का हाथ हैं। यहीं नहीं बल्कि संस्कृति हमारा पीछा जन्म-जन्मांतर तक करती है।"[25]

संस्कृति मानव के सहज स्वाभाविक प्रवृत्तियों का द्योतक है। यह मानव और समाज के बीच अंतवर्ती विचार के रूप में खडी रहती हैं। इसका संबंध मानव के अंतःकरण की उदात्त वृत्तियों से होता है। सत्य, अहिंसा, त्याग, प्रेम, दया, तपश्चर्या, लोकहित भारतीय संस्कृति के उपकरण हैं। इनके आधार पर निश्चित आचार-विचार की परंपरा को भारतीय संस्कृति कहते हैं। . . . . . समन्वय की भावना भारतीय संस्कृति की विशेषता मानी जाती है। संस्कृति का मूल उद्देश जातीय जीवनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों की रक्षा करना और उन विसंगतियों , संस्कारों को दूर करना होता है।

साठोत्तर साहित्यकारों के हृदय में उदार, महिमामय भारतीय संस्कृति के प्रति पुरातन विश्वास एवं श्रध्दाभाव अटूट आस्था आज भी दिखाई देती है। इसी कारण नाटककारों ने अपनी नाट्यकृतियों में भारतीय संस्कृति के मूल और आधारभूत तत्वों की प्रतिष्ठा की है।

हरिकृष्ण प्रेमी के "अमृतपुत्री", "रक्तदान", "आज का मान", "अमर, "आन" "अमर बलिदान", रामकुमार वर्मा का "कला और कृपाण", 'संत तुलसीदास' 'जय वर्धमान' विभूतिपरक नाटक हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी "अंबपाली", वृंदावनलाल वर्मा "हंस मयूर", कृष्ण शर्मा भिक्खू "रूपलक्ष्मी", वैकुंठनाथ दुग्गल "समुद्र गुप्त" जयशंकर त्रिपाठी "कुरूक्षेत्र का सबेरा" चंद्रशेखर "शिवधनुष्य" चतुर्भुज "श्रीकृष्ण", "भिष्म प्रतिज्ञा", सेठ गोविंददास "महाप्रभु वल्लभाचार्य", रांगेय राघव "रामानुज" ओंकारनाथ दिनकर भागवत "भगवान बुध्द", गणेशप्रसाद श्रीवास्तव "सिध्दार्थ का "गृहत्याग " भारत के महान विभूतियों का परिचय देनेवाले यह नाटक हैं। साठोत्तर हिन्दी नाटक के सांस्कृतिक संदर्भ को उजागर करनेवाले नाटक कम लिखे गए हैं जिसका प्रमुख कारण मूल्य, विघटन की ओर ही अग्रेसर हुआ दिखाई देता है।

5· असंगत जीवन संदर्भ

हिन्दी में प्रयुक्त "असंगत नाटक" शब्द प्रयोग अंग्रेजी के (Absurd Drama) का हिन्दी रूपान्तर है। यद्यपि विश्व का प्रथम असंगत नाटक भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित "तांबे के कीड़े" है। लेकिन सही अर्थ में पाश्चात्य नाटककार सैम्युएल के "बेकेट" के द्वारा ही असंगत नाट्य परंपरा का आरम्भ माना जाता है। हिन्दी की असंगत नाट्य विधा पाश्चात्य एब्सर्ड नाट्य शिल्प से प्रभावित हैं। विश्व युध्द के परिणामस्वरूप जब पश्चिमी राष्ट्रों में भय, आतंक, अनास्था, विश्वास और मानवीय संबंधों में मूल्यों की गिरावट हो गई तब असंगत नाटक कुछ मात्रा में लिखे गए। भारत भी इसका अपवाद नहीं रहा है। हिन्दी में स्वातंत्र्य के उपरान्त विशेषतः साठोत्तर काल में ही असंगत नाटक लिखे गए हैं। जिनमें आज के मानव की विवशता, मूल्यहीनता, भयावह स्थिति और साधारण जन की अपेक्षा मानव मन की विचित्रता, विशृंखलता और सामान्य व्यवहार की जगह असामान्य व्यवहार की रफ्तार दिखाई देती है। इन नाटाकों की सबसे बड़ी विशेषता यह हैं कि इन नाटकों का शिल्प विशेषता भाषाशैली, संवाद आदि उलजलूल असंबध्द अतार्किक सामंजस्यहीन होते हैं। डॉ·नरनारायण राय ने असंगत नाटक की परिभाषा इसप्रकार दी है - "व्यावहारिक जीवन में हर व्यक्ति को अपने चरित्र से भिन्न भूमिकाएँ निभानी होती हैं - यहीं है जीवन की आंतरिक "विसंगती" या असंगती"। जिस नाट्यरचना में यह असंगती जिनती अधिक उजागर होती है अपने आप में वह ड्रामा उतना ही एब्सर्ड हो जाता है।"[26]

भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र लिखित "तांबे के कीड़े" के अतिरिक्त हिन्दी असंगत नाटक लिखनेवालों में रमेश बक्षी का "वामाचार" हमीदुल्ला का "उलझे आकृतियाँ", बिपिनकुमार अग्रवाल का "तीन अपाहिज", मणि मधुकर के "दुलारीबाई", "सेला पोलमपुर", मुद्राराक्षस के "मरजीवा", "तेंदुआ" विशेष प्रसिध्द असंगत नाटक हैं। यह असंगत नाटक साठोत्तर भारत की विसंगतियों को चित्रित करते हैं। असंगत नाटकों में चित्रित मानव जीवन वस्तुतः आधुनिक मानव जीवन के मूल्य विघटन का ही नग्न यथार्थ है।

विवेच्य नाटक : सामान्य परिचय

हमारी संवेदनशील नाटककारों ने विदेशी आक्रमणों को परिलक्षित करते हुए जो महत्वपूर्ण नाटक लिखे हैं, उनमें युध्दजन्य स्थिति और भारत की राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा साधारण मानव की होनेवाली विचित्र दशा को इन नाटककारों ने अत्यंत आत्मियता से चित्रित किया है और साथ ही साथ उनमें विदेशी आक्रमणों का व्यापक चित्रण हुआ है। और इसीकारण साठोत्तर नाटकों में विदेशी आक्रमण पर युध्दजन्य परिस्थितियों को रेखांकित करनेवाले नाटक निश्चय ही समय संदर्भ के रूप में अपना विशिष्ट महत्व रखते हैं। यद्यपि विदेशी आक्रमण को ध्यान में रखकर अनेक नाटक लिखे गए हैं फिर भी विषय की सीमा ध्यान में रखकर यहाँ कुछ प्रतिनिधि नाटककार डॉ·शिवप्रसाद सिंह, ज्ञानदेव अग्निहोत्री, राजकुमार, रामकुमार वर्मा, बृजमोहन शाह आदि के नाटकों पर विचार किया है।

विवेच्य नाटकों में चीनी आक्रमण से संबंधित "घाटियाँ गूँजती हैं", "नेफा की एक शाम" नाटक है। पाकिस्तानी आक्रमण से संबंधित "हाजीपीर का दर्रा", "जय बांगला" नाटक है। और "युध्दमन" (बृजमोहन शाह) एक ऐसा नाटक है जिसमें युध्दजन्य स्थितियों का यथार्थ अंकन किया गया है। विदेशी आक्रमणों की भयानकता और जनसाधारण की अन्यमनस्कता दर्शायी गई है। शोध-प्रबंध के विदेशी पाँच प्रतिनिधि विवेच्य नाटकों का परिचय इसप्रकार दिया जा सकता हैं -

1· घाटियाँ गूँजती हैं - डॉ·शिवप्रसाद सिंह

डॉ·शिवप्रसाद सिंह आधुनिक हिन्दी के श्रेष्ठ नाटककार हैं। उसका सन 1965 में प्रकाशित "घाटियाँ गूँजती हैं" चीनी आक्रमण पर आधारित नाटक है। भारत को आज़ादी मिलने के पश्चात युध्द याने क्या ? यह किसी को भी मालूम नहीं था। सिर्फ द्वितीय महायुध्द में जापानी भारत का दरवाजा खटखटाकर लौट गए थे। उसीके पश्चात इस नवीन शत्रु ने हमारी सीमाओं पर अतिक्रमण किया। जो पहले हमारे साथ मित्रता का संबंध रखता था, उसी चीन ने 1962 मे विश्वासघात

किया। डॉ॰शिवप्रसाद सिंह ने स्वातंत्र्योत्तर भारत पर हुए विदेशी आक्रमण के बारे में ठीक ही कहा है - "18 नवम्बर 1962 के मुँह अँधेरे प्रभात में बोमदि लापर चीनी आक्रमण एक ऐतिहासिक घटना है।"[27]

विश्व के एशिया खंड में भारत का होनेवाला विकास चीनी लोगों को अच्छा नहीं लगता था। इसलिए अनेक संभावनाओं से भरी योजनाओं में बाधा डालकर सैनिक संभार के दबाव के नीचे भारत को विवश करना ही उनका उद्देश्य था। जिस प्रकार हिटलर की महत्वाकांक्षा ने समूचे यूरोप को खून से नहला दिया था, उसी प्रकार चीनी शासक एशिया को लोहू लुहान करने पर तुले हुए थे। ऐसे दुर्दान्त शत्रु ने हमारे ,पाचीन, सांस्कृतिक और शांतिप्रिय देश को चुना यह एक विडम्बना तो है, किंतु यह सौभाग्य भी है।

उपर्युक्त उद्देश्य से प्रेरित होकर 8 सितम्बर 1962 से निरन्तर चीनी सेना का आत्मघाती सैलाब, लहर पर लहर के रूप में, हमारी सीमाओं से टकराता रहा। भारतीय सीमा पर फैले हुए युध्द-क्षेत्र की सबसे हृदय विदारक घटना थी बोमदि ला का पतन। उस समय अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सारा राष्ट्र जागृत हो उठा। लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत होकर राष्ट्र के प्रति ऐक्य भावना निर्माण हुई।

प्रस्तुत नाटक तीन दृश्यों में बँटा हुआ हैं। पहले दृश्य में हिमालय का वर्णन और रिपोर्टर का युध्द स्थल पर खबर लाने के लिए जाना, दूसरे दृश्य में दार्शनिकों के विचार और जन्मभूमि प्रेम, तीसरे दृश्य में गद्दार को पकड़ना, खून करना आदि चित्रित किया हैं।

प्रस्तुत नाटक में यह दर्शाया गया है कि रिपोर्टर बोमदि ला के जगह की खबरे अखबार में प्रकाशित करने के लिए उस जगह चला जाता है, ताकि आँखों देखा हाल सामान्य लोगों तक पहुँच सके। कई आदमी ऐसे भी दिखाई देते हैं कि जन्मभूमि के प्रति अपार प्रेम होने के कारण छोड़ने के लिए तैयार नहीं। दूसरे

देश के लागों को भारत देश के महत्वपूर्ण जगहों की जानकारी नहीं होती तभी हमारे भारतीय लोग ही देश के साथ विश्वासघात करते हुए सभी जानकारी शत्रु राष्ट्र को बताते हैं। मगर इन गद्दार लोगों को किसी भी जगह पनाह नहीं मिलती और अंत में पछताना पड़ता हैं। स्वयं का बेटा गद्दार है यह देखकर देशप्रेमी लोग अपने खून का खून करनें में भी नहीं हिचकते। इस नाटक में राष्ट्रीय एकता की झलक भी दिखायी देती है। सैनिक गुप्तचर विभाग के अधिकारी कैप्टन मोहन सिंह संवाद प्रतिनिधि विवेक से कहता है - "बंधु, यह स्वतंत्र भारत का पहला युध्द है। इस युध्द का एक-एक सैनिक अपनी मातृभूमि के मान-सम्मान का पहरेदार है···सैनिक, नेता, शासक, पत्रकार, लेखक, किसान, मजदूर और व्यापारी - ये सब जैसे अलग-अलग डिपार्टमेंट है, मगर अधीन एक ही हेडक्वार्टर के हैं और वह हेडक्वार्टर है मातृभूमि।"[28]

2· नेफा की एक शाम ज्ञानदेव अग्निहोत्री

ज्ञानदेव अग्निहोत्री लिखित "नेफा की एक शाम" चीनी आक्रमण पर आधारित समसामयिक पृष्ठभूमि पर लिखा हुआ आदिवासियों के देशप्रेम से ओत-प्रोत और मंचीय सफलता का उच्चांक स्थापित करनेवाला हिन्दी का अत्यंत मौलिक नाटक है। जिसके आज तक दो हजार से भी अधिक प्रयोग हुए हैं। इस नाटक के 1980 तक सात संस्करण प्रकाशित हुए हैं।

20 अक्तूबर 1962 को चीन ने भारतीय सीमा के अंतर्गत नेफा और लद्दाख स्थानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए। चीनी प्रधानमंत्री चाऊ-एन-लाई ने भारत के 50 हजार वर्ग मील इलाके पर अपने अधिकार का दावा किया। इस संकटग्रस्त अवसर पर संपूर्ण राष्ट्र में जागृति की अपूर्व चेतना उत्पन्न हुई। शताब्दियों बाद भारत पर इस प्रकार का संकट उपस्थित हुआ था। ऐसे संकट काल में समस्त भारतीय जन मानस और साहित्य आंदोलित हो उठा। चीनी आक्रमण भारत के लिए वरदान ही सिध्द हुआ, क्योंकि इससे समूचा राष्ट्र जागृत और प्रबुध्द होकर एक व्यक्ति के समान चौंककर खड़ा हो गया। ऐसी अपूर्व एकता और आत्मबलिदान की भावना

थोडे अवसरों पर देखने को मिलती है। आज हम भारतवासियों का दृढ संकल्प है कि अपने खोए हुए भूभाग को प्राप्त किए बिना चैन से नहीं बैठेंगे।

चीनी आक्रमण ने सारे भारतीयों को जागृत किया था। अतः सजग साहित्यकार का जागृत होना ही स्वाभाविक है। चीनी आक्रमण पर विपूल साहित्य उपलब्ध है लेकिन उसमें प्रायः जीवन के अद्भूत सत्य की तीव्रता का अभाव है। "नेफा की एक शाम" में इस अभाव की पूर्ति करने की कोशिश की गई है। यद्यपि इस नाटक की कथावस्तु का मूल उत्स चीनी आक्रमण तज्जनित मधु परिस्थिति से राजनीतिक यंत्रणा और मंत्रणा है। अर्थात समसामयिकता है। फिर भी उसमें न कोरी राजनीति है, न कोरी प्रचारिता, न कोरी उपेदार्यता बल्कि मानवी व्यापारों का सहज सुंदर गुंफन है। खुद नाटककार का मंतव्य है - "नेफा की एक शाम" वैसे तो समसामयिक पृष्ठभूमि पर ही है। पर मैं केवल ऐसा नहीं मानता। मैं समझता हूँ यह नाटक मानव के उन संबंधों की पुनर्व्याख्या करने का प्रयास करता है जो किसी देशांचल में बाहय आक्रमण के समय होने चाहिए।"[29]

भारतीय वीर पहले कभी आक्रमक नहीं होते। यह ध्यान में रखने की जरूरत है कि वे किसी बाहय आक्रमण को बर्दाश्त नहीं करते। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बली देने में ही वे खुद को धन्य समझते हैं। भारत की यह उज्वल परंपरा है। इस परंपरा के मुताबिक चीनी आक्रमण से अपने देश की रक्षा करते - करते प्राण न्योछावर करके अमर होनेवाले दो आदिवासी युवकों की शौर्य गाथा का चित्रण एवं भविष्यकालीन विदेशी आक्रमणों की ओर संकेत "नेफा की एक शाम" का प्रतिपाद्य है।

प्रस्तुत नाटक दो अंकों में विभाजित हुआ है। प्रथम अंक में चीन ने तवाँग पर हमला करते ही सभी गाँव छोड़कर मैदान की तरफ जाने के लिए तैयार हैं, मगर कई लोग अपनी संस्कृति को न छोड़कर वही जान देने के लिए तैयार होते हैं। द्वितीय अंक में पुल को तोड़कर दो आदिवासी जवानों के आत्मसमर्पण की जानकारी चित्रित की है। यह नाटक समाप्त होता है, वही एक नये अध्याय का प्रारंभ होता है। सच ही, यह बात समस्त भारत की प्रतिध्वनि है, जो नाटक के अंत

में मातई के मुख से उद्भासित होती है - "यह शुरूआत है····शुरूआत···।"[30]

3· **हाजीपीर का दर्रा - राजकुमार**

15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन होने के उपरान्त पाकिस्तान ने अनेक बार भारत पर हमले किये हैं, मगर कश्मीर का प्रश्न अभी तक हल नहीं हुआ है। पाकिस्तान ने कश्मीर पर भी अनेक बार छोटे-बड़े हमले किए हैं, लेकिन कश्मीरी जनता ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया है, बल्कि खुद को भारत की ही संतान माना है।

राजकुमार लिखित "हाजीपीर का दर्रा" सन 1970 में प्रकाशित युध्दजन्य स्थिति पर आधारित एक राजनैतिक नाटक है। यह नाटक दो अंकों में विभाजित है। प्रथम अंक में मुजाहिदों का हाजीपीर के दर्रे पर थूँक कर दीवार गिराना और द्वितीय अंक में भारतीय सैनिकों का महत्व और कार्य स्पष्ट किया हैं।

प्रस्तुत नाटक में पाकिस्तानी सैनिक हाजीपीर के दर्रे को अपना ही समझकर उस पर कब्जा करने की साजिश करते हैं। इस दर्रे पर पाकिस्तानी ठोकरे मारते हैं, थूँकते हैं। इसकी दीवारों को गिराने की कोशिश करते हैं। वे कश्मीरियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। इस हाजीपीर के दर्रे पर पाकिस्तानी झण्डे को लहराता देखकर अकबर दुखी होता है। यह अकबर मुसलमान होकर भी हिंदुस्तानी जासूस है। वह बहादुर सैनिक बोधासिंह, रामसिंह तथा मुजाहिद जालिम खाँ, नूर खाँ आदि की मदद से उसकी जगह पर भारत का राष्ट्रीय झण्डा फहराता है। मौलवी वगैरह को तोबा करना पड़ता है। उसी समय अकबर के शब्द दृष्टव्य हैं। वह मौलवी से कहता है - "पीर की बद्दुआ तुझे दोजख की आग की तरह जलाएगी शैतान। कल तक हाजीपीर का दर्रा कफस जरूर था लेकिन इसलाम की हिफाजत के नाम पर जहर से बुझाई हुई नफरत की शलाखें आज टूट चूकी हैं। मजहब के नाम पर खूँरेजी का आलम इन्साफ के मजबूत हाथों की निगाहें करम का तलबगार हो उठा है और अब यहाँ दिलो-दिमाग से आज़ाद मुल्क के खुद्दार फौजियों के कदम जमे हुए हैं। तेरी नापाक हस्ती का जनाजा उठेगा और जरूर उठेगा।"[31]

मजहब के नाम पर दुश्मनी करने के कारण आखिर मौलवी को पछतावा होता है और वह जहर खाकर आत्महत्या करता है। इसप्रकार भारत पाकिस्तान युध्द में मजहब की दीवारें खडी होती है। पाकिस्तानी मुसलमान मजहब के नाम पर हमला करते हैं और आखिर हिंदुस्तानी लोगों की बहादुरी से पराजित होते हैं। भारतीय मुसलमान मुसलमान होकर भी भारत की हिफाजत के लिए पाकिस्तानियों के खिलाफ लड़ते हैं। इसका उत्कृष्ट उदाहरण अकबर है। नाटककार ने "हाजीपीर का दर्रा" नाटक में भारतीय मुसलमानों का भारत प्रेम दिखाकर हिंदू-मुस्लिम ऐक्य की ओर भी संकेत किया है।

4· जय बाड़ला - डॉ·रामकुमार वर्मा

बाड्ला देश के आधार पर डॉ·रामकुमार वर्मा लिखित "जय बाड्ला" नाटक 1971 में प्रकाशित हुआ जो एक सफल मंचीय नाटक है। प्रस्तुत नाटक तीन अंकों में विभाजित किया हैं। जिसके प्रथम अंक में ढ़ाका में धान मंडी रोड की गली में किए अत्याचार, दितीय अंक में बलुचिस्तान सिपाही की नीति और भिन्न जगह किए अत्याचार, तृतीय अंक में मुक्ति फौज के सिपाहियों ने किया पाकिस्तान का सामना आदि का वर्णन किया है।

प्रस्तुत नाटक में बलुचिस्तान सिपाहियों को भारत में इस्लाम कतरे में हैं, उसे बचाने के लिए मदद के रूप में बुलाया था। मगर यहाँ स्थिति ऐसी नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान के लोग अपने भाईयों पर अन्याय, अत्याचार कर रहे थे। यह देखकर बलुचिस्तान सिपाही जंग का महत्व बताते हुए कहता है - "खुदा का खौफ करो, बन्दे। मुल्क में जंग होता है। दुश्मन का मुल्क जीतने के लिए, बीवी बटोरने वास्ते नई। बीवी अमेशा शरीफ खान्दान का ईज्जत होता है।"[32]

कोई भी जनता किसी शासक का अत्याचार अधिक काल तक नहीं सह सकती है, बल्कि उसका सामना करती है। बाड्ला देश की निर्मिती विश्व के इतिहास की एक अभूतपूर्व घटना है। 1947 में पूर्व पाकिस्तान कहा जानेवाला प्रदेश 1971 में बाड्ला देश के रूप में उदित हुआ। इसे स्पष्ट करते हुए डॉ·रामकुमार वर्मा

ने कहा है - "इतिहास के दर्पण में बाङ्ला देश का नर-संहार बड़े भयानक रूप में प्रतिबिम्बित होगा। एक महा दैत्य और मुट्टी भर पूर्वी बंगाल के लोग किन्तु ऐसे लोग जिन्होंने अन्याय और हिंसा का प्रतिकार अपना रक्त देकर किया हैं। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की वेदी को सच्चे अर्थों में आत्म-बलि की वेदी बना दिया है।"[33]

5· युध्दमन - बृजमोहन शाह

बृजमोहन शाह दिल्ली के "नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा" के संचालक हैं। सन 1976 में प्रकाशित "युध्दमन" बृजमोहन शाह का युध्दजन्य स्थिति पर आधारित एक उत्कृष्ट मंचीय नाटक है। इस नाटक में नाटककार ने मुख्यतः युध्द के समय मानव मन में जो हलचल पैदा होती हे और उस समय जो विविध घटनाएँ घटित होती है। विविध आँकडे, कारनामे, प्रकाशित होते हैं उन सब को परिलक्षित करते हुए "युध्दमन" नाटक लिखा है। युध्द और शांति एक चिरंतन समस्या रही है। इस संदर्भ में प्रस्तुत नाटककार ने "युध्दमन" नाटक में युध्द की तीन प्रमुख स्थितियों को चित्रित किया हैं। पहली स्थिति यह है कि युध्द क्यों किए जाते हैं युध्द के सही दोषी कौन होते हैं ? अर्थात युध्द में लड़नेवाला सैनिक या लड़ानेवाले व्यक्ति या उनके पिछे कार्यरत आंतर्राष्ट्रीय गुट ? इस समस्या को चित्रित करना नाटककार को अभिप्रेत है। इस नाटक में यह दर्शाया गया है कि वस्तुतः युध्द के लिए कोई सैनिक जिम्मेदार नहीं हैं। सैनिक को आदेश दिया जाता है और उस आदेश के परिणामस्वरूप वह किसी देश पर हमला करता है, बम वर्षा करता है और कुछ समय बाद युध्दविराम भी हो जाता है। सैनिक प्रसंगवश संधी होने पर अपने शत्रु देश के प्रधान को "गार्ड ऑफ आनर" में सेल्यूट करता है।

प्रस्तुत नाटक में यह भी दिखाया गया है कि पड़ोसी राष्ट्र ने हम पर आक्रमण कर दिया है, पड़ोसी देश का रेडियो कहता है कि हमने चुपचाप उनके चौकियों पर हमला किया है। एक लंबी बहस शुरू हो जाती है और उस समय यह भी संकेतित हो जाता है कि बड़ी शक्तियाँ ही छोटे देशों को निगलने का प्रयास करती हैं। या किसी देश को दूसरे देश पर हमला करने के लिए विवश करती है। प्रस्तुत नाटक में युध्द के विरोध पर भी प्रकाश डाला गया है। साथ

ही साथ यह भी दर्शाने का प्रयास किया है कि आज आदमी युध्द से विरक्ति भी चाहता है। युध्द के दुष्परिणामों को इस नाटक में प्रचुर मात्रा में दर्शाया गया है। विशेषतः नाटक के दृश्य दो में शरणार्थियों की विवशता, दृश्य तीन में युध्दबंदी की विचित्र स्थिति, दृश्य चार में पारिवारिक जीवन की दुर्दशा और भयावहता, दृश्य सात में बाजारों में बढती जा रही चीजों की दरे और अतिरिक्त मँहगाई आदि को चित्रित किया गया है।

प्रस्तुत नाटक में यह भी दिखाया गया है कि युध्दजन्य स्थिति में बुध्दिजीवियों की हालत बड़ी विचित्र होती है। बुध्दिजीवी कभी-कभी शोर मचाने के लिए विवश हो जाते हैं। उनमें हाथापाई भी होने लगती है और वे गाली गलौज भी करते रहते हैं। एक बूढ़े प्रेक्षक के द्वारा नाटककार ने बुध्दिजीवियों पर व्यंग्य किया है - "मेरे इन्टेक्युअल भाइयों, बहनों, बात सिर्फ बेसिक अमेंडमेंट टू अमेंडमेंट को ऑन प्रिंसिपल, डिक्लेरेशन में इनक्लूड करने की है, पर हमारे ये आर्टिस्ट दोस्त रूस से कुछ अलर्जिक लगते हैं।"[34] युध्द के भयंकर दुष्परिणाम, मनुष्यहानी और वित्तहानी को परिलक्षित करते हुए स्वयं नाटककार बृजमोहन शाह ने अपने वक्तव्य में युध्द का विरोध किया है। वे लिखते हैं - "युध्द एक ऐसी भयंकर मूर्खता, मानव हत्या का बर्बर उन्माद, पुनरावर्ती विध्वंस है। जो मानव सभ्यता को पंगु कर नाशोन्मुख करता है। सही अर्थ में "युध्द" किसी भी राष्ट्र के लिए मंथर आत्महत्या है।"[35]

प्रस्तुत नाटक 1976 में प्रकाशित हुआ है और इसके पहले भारत पर जो विदेशी आक्रमण हुए हैं। उनकी विशिष्टता उनका विरोध और उनसे विरक्ति के संकेत इस नाटक की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

विवेच्य नाटक : अध्ययन प्रणाली

उपर्युक्त पाँच विदेशी आक्रमण परक नाटकों को परिलक्षित करते हुए निम्नलिखित अध्ययन प्रणाली को अपनाया जा सकता है -

1· साठोत्तर हिन्दी नाटक साहित्य समकालीन मानव जीवन के विविध संदर्भों का एक तरह से दस्तावेज हैं। साठोत्तर हिन्दी नाटक समय की माँग है और इस माँग में एक प्रमुख माँग भारत पर हुए विदेशी आक्रमण और तज्जन्य स्थितियाँ है। अतः शोध-प्रबंध का प्रथम अध्याय पृष्ठभूमि के रूप में लिखना उचित है।

2· प्रस्तुत शोध-प्रबंध का मुख्य प्रतिपाद्य विदेशी आक्रमण है। अतः विवेच्य नाटकों में चित्रित विदेशी आक्रमण का विस्तृत विवेचन विश्लेषण करना अभिप्रेत है।

3· विवेच्य नाटकों में नाटककारो ने विदेशी आक्रमण के साथ ही साथ राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना को भी उजागर किया है। अतः उसका अध्ययन भी यहाँ अपेक्षित है।

4· इतना ही नहीं इन विवेच्य नाटकों में एक ऐसी बात दृष्टिगत होती है कि उनमें सांस्कृतिक चेतना के भी दर्शन यत्र तत्र होते हैं। अतः सांस्कृतिक चेतना पर भी प्रकाश डालना आवश्यक बन गया है।

5· इसमें संदेह नहीं कि हिन्दी के साठोत्तर नाटकों की एक विशिष्टता यह है कि यह नाटक रंगमंच की दृष्टि से अपना विशिष्ट स्थान हिन्दी नाट्य साहित्य में रखते हैं अतः विदेशी आक्रमण तथा राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना के परिप्रेक्ष्य में रंगमंचीय अनुशीलन इस प्रबंध की एक आवश्यकता है।

ऊपर के आधारों पर अध्ययन की दृष्टि से प्रस्तुत शोध-प्रबंध को निम्नांकित अध्यायों में विभाजित करना हमें अभिप्रेत हैं -

1· साठोत्तर हिन्दी नाटक : समय संदर्भ
2· साठोत्तर हिन्दी नाटकों में चित्रित विदेशी आक्रमण : राजनीति के परिप्रेक्ष्य में
3· साठोत्तर हिन्दी नाटकों में चित्रित विदेशी आक्रमण : जनजीवन के परिप्रेक्ष्य में
4· साठोत्तर विवेच्य हिन्दी नाटकों में चित्रित राष्ट्रीय चेतना

12816
A

5· साठोत्तर विवेच्य हिन्दी नाटकों में चित्रित सांस्कृतिक चेतना

6· साठोत्तर विवेच्य हिन्दी नाटकों में रंगमंचीय बोध

7· समन्वित मूल्यांकन

निष्कर्ष

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि -

1· भारत विश्व का प्राचीन द्वीप प्राय देश है, जिसकानाम उसकी सांस्कृतिक विरासत का द्योतक है।

2· यद्यपि भारत संस्कृति संपन्न और धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है फिर भी उसका "भारत" और "पाकिस्तान" के रूप में हुआ विभाजन धर्म के नाम पर ही हुआ है।

3· सन 1971 में पूर्वी पाकिस्तान की जगह बाङ्ला देश नामक एक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण हुआ।

4· 1950 में डॉ·बाबासाहेब आंबेडकर की अध्यक्षता में नियुक्त संविधान प्रारूप समिति द्वारा भारतीय संविधान तैयार किया गया और वह 26 जनवरी 1950 से भारत पर लागू हुआ। जिसकी वजह से भारत एक लोकसत्ताक राष्ट्र बन गया।

5· भारत का संविधान मुख्यतः भारतवासियों के मूलभूत अधिकारों को महत्व देनेवाला तथा एक आदर्श और तटस्थ राष्ट्र के लिए नियामक है।

6· भारत की विदेश नीति मुख्यतया युध्द के खिलाफ और शांति के पक्ष में है। तटस्थता इसकी अपनी एक खासियत है। और "पंचशील" भारत की विदेशी नीति की कार्यप्रवण व्यवस्था है।

7· स्वातंत्र्योत्तर भारत पर चार बार विदेशी आक्रमण हुए हैं, जिनका मुकाबला भारत ने समय-समय पर किया है और अपने पड़ोसी देशों के साथ समझौते की कोशिश भी की है। फिर भी युध्द की समस्या पूरी तरह से हल हुई है ऐसा नहीं कहा जा सकता।

8· भारत पर हुए विदेशी आक्रमण संबंधी हिन्दी में लगभग पंद्रह-सोलह नाटक लिखे गए हैं तथापि लघुशोध-प्रबंध व्याप्ति और सीमा तथा अवधि को ध्यान में रखकर पाँच नाटकों को अध्ययन का विषय बनाया गया है। ये पाँच नाटक मुख्यतयः भारत-चीन आक्रमण तथा जम्मू कश्मीर समस्या को लेकर भारत पाकिस्तान युध्द तथा बाड़ला देश की निर्मिति में भारत के सहयोग के कारण भारत-पाकिस्तान युध्द से संबंधित है।

9· विवेच्य नाटकों में भारत पर हुए विदेशी आक्रमण तथा उनका जनसाधारण पर हुआ असर एवं राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना को चित्रित किया गया है। नाटक प्रदर्शन की वस्तु है अतः उपर्युक्त विषय और रंगमंच के आयाम अध्ययन की प्रणाली का प्रमुख आधार है।

संदर्भ

1· ऋग्वेद संहिता - सम्पा·श्री·दा·सातवलेकर, ऋ·1/32/12, 2/12/12, 8/24/27, 10/75/5,6,7

2· विष्णु पुराण - अनु·श्रीमुनिलाल गुप्त, पृ·143, सं·2033

उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम्।
वर्ष तद्भारतं नाम भारती यत्र सन्ततिः।।1।।

3· संस्कृति के चार अध्याय - रामधारी सिंह "दिनकर", पृ·15, च·संस्क·1966

4· स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी नाटकों का सांस्कृतिक अध्ययन - डॉ·गजानन सुर्वे, पृ·35, प्र·संस्क·1987

5· नवीन राष्ट्रीय एटलस - रचयिता बीबा सिंह कौशल, पृ·47, संस्क·1985

6· भारत का विभाजन अथवा पाकिस्तान - बी·आर·अम्बेडकर, अनु·श्री·दयाराम जैन, पृ·59, प्र·संस्क·1972

7· भारत-विभाजन और हिन्दी कथा साहित्य - डॉ·प्रमिला अग्रवाल, पृ·5, प्र·संस्क·1992

8· हिन्दुस्तान की कहानी - मौलाना अबुल कलाम आजाद, अनु·श्री·दयाराम जैन, पृ·467, प्र·संस्क·1972

9· दूर के पड़ोसी - कुलदीप नेयर, अनु·सौमित्र नैयर, पृ·15, संस्क·अनुल्लेख्य

10· भारत का इतिहास - डॉ·ए·के·मित्तल, पृ·455, प्र·संस्क·1992

11· भारत विभाजन के गुनहगार - राम मनोहर लोहिया, अनु·ओंकार शरद, पृ·9, तृ·संस्क·1992

12· आधुनिक भारत - सुमित सरकार, हिन्दी अनु·सुशीला डोभाल, पृ·505, प्र·संस्क·1992

13· भारत का इतिहास - डॉ·ए·के·मित्तल, पृ·461, प्र·संस्क·1992

14· वही, पृ·462

15· वही, पृ·463

16· भारत वर्ष का संपूर्ण इतिहास (द्वितीय भाग) - प्रो·श्रीनेत्र पांडेय, पृ·561, संस्क·1988-89

17· वही, पृ·562

18· भारत का राजनीतिक इतिहास - राजकुमार, पृ·374, संस्क·अनुल्लेख्य

19· भारत-चीन संघर्ष - श्री·त्र्यं·र·देवगिरीकर, पृ·84-85, प्र·संस्क·1963

20· वही, पृ·88

21· बांगला देश स्वतंत्रता के बाद - क्षितीश, पृ·113, प्र·संस्क·1976

22· नाट्य और नाटक - कुँवरजी अग्रवाल, पृ·22, प्र·संस्क·1990

23· नाटक और रंगमंच - सम्पा·शिवराम माळी, सुधाकर गोकाककर, पृ·244, प्र·संस्क·1979, (डॉ·चंदूलाल दुबे लिखित नाटक और दर्शक" लेख से उध्दृत)

24· साठोत्तर हिन्दी नाटक - सम्पा·डॉ·विजयकांतधर दुबे, पृ·54, प्र·संस्क·1983 (डॉ·गिरीराज शर्मा "गुंजन" लिखित "साठोत्तर हिन्दी नाटक सामाजिक संदर्भ" लेख से उद्धृत)

25· साठोत्तर हिन्दी नाटक - सम्पा·डॉ·विजयकांतधर दुबे, पृ·124, प्र·संस्क· 1983, (डॉ·आनंद प्रकाश, गौतम लिखित "साठोत्तर हिन्दी नाटक सांस्कृतिक संदर्भ" लेख से उद्धृत)

26· नटरंग विवेक - डॉ·नरनारायण राय, पृ·84, प्र·संस्क·1981

27· घाटियाँ गूँजती हैं - डॉ·शिवप्रसाद सिंह, पृ·9, तृ·संस्क·1965

28· वही, पृ·31

29· नेफा की एक शाम - ज्ञानदेव अग्निहोत्री, पृ·7, सप्त·संस्क·1980

30· वही, पृ·128

31· हाजीपीर का दर्रा - राजकुमार पृ·93, दि·संस्क·1970

32· जय बाड़ला - डॉ·रामकुमार वर्मा, पृ·32, प्र·संस्क·1971

33· वही, पृ·7

34· युध्दमन - बृजमोहन शाह, पृ·94, प्र·संस्क·1976

35· वही, पृ·5